जय श्री राम!
बोलो पवनपुत्र हनुमान की जय| बोलो बजरंग बलि की जय|
अयोध्या निर्णय के इस प्रश्न: उत्तर: श्रृखला में आपका स्वागत हैं|
प्रश्न: अयोध्या निर्णय में कितने पन्नो का हैं?
अ) ३०६
ब) ८५३
क) १०४५
ड) १२
उत्तर: क) १०४५
==========
प्रश्न: अयोध्या निर्णय में कितने अभियोगों की एकसाथ सुनवाई हुई?
अ) २०
ब) २००
क) १४
ड) १४०
उत्तर: क) १४
==========
प्रश्न: कितनी जमीन रामजन्मभूमि के लिए विवादास्पद थी?
अ) १५०० यार्ड वर्ग
ब) ५ एकड़
क) ३ हेक्टर
ड) पूरा अयोध्या शहर
उत्तर: अ) १५०० यार्ड वर्ग
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि का विवाद कबसे था?
अ) भारत की स्वतंत्रता से
ब) अंग्रेजो के ज़माने से
क) मुघलों के शासनकाल से
ड) कभी था ही नहीं
उत्तर: क) मुघलों के शासनकाल से
==========
प्रश्न: अयोध्या निर्णय की सुनवाई सर्वोच्च न्यायलय में कितने दिनों तक चली?
अ) ३६५ दिन
ब) १००५ दिन
क) ३ दिन
ड) ४१ दिन
उत्तर: ड) ४१ दिन
==========
प्रश्न: सर्वोच्च न्यायलय के पहले अयोध्या विवाद के मामले किस न्यायलय में सुने गए?
अ) अलाहाबाद उच्च न्यायलय
ब) अयोध्या जिला एवम सत्र न्यायलय
क) पटना उच्च न्यायालय
ड) फैजाबाद जिला न्यायालय
उत्तर: अ) अलाहाबाद उच्च न्यायलय
==========
प्रश्न: अयोध्या विवाद से जुड़े कितने अभियोग अलाहाबाद उच्च न्यायलय में सुने गए?
अ) १०
ब) ६
क) ८
ड) ४
उत्तर: ड) ४

==========
प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अयोध्या विवाद में कितने पन्नो का निर्णय दिया था?
अ) १२४७
ब) २२४४
क) ३४०६
ड) ४३०४
उत्तर: ड) ४३०४
==========
प्रश्न: अयोध्या विवाद के अलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायलय में कितनी अपील दाखिल की गयी?
अ) १४
ब) १५
क) १६
ड) १७
उत्तर: अ) १४
==========
प्रश्न: जहा रामजन्मभूमि हैं उस गाव का नाम क्या हैं?
अ) कोट रामचंद्र प्रगने हवेली अवध, तहसील सदर, जिला फैजाबाद
ब) अयोध्या का रामकोट प्रगने हवेली अवध, तहसील सदर, जिला फैजाबाद
क) विकल्प अ) और ब) दोनो
ड) अयोध्या जिला अयोध्या
उत्तर: क) विकल्प अ) और ब) दोनो
==========
प्रश्न: बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस तारीख के दिन हुआ?
अ) ६ दिसंबर १९९२
ब) २२ दिसंबर १९४९
क) ५ अगस्त २००९
ड) इन में से कोई भी नहीं
उत्तर: अ) ६ दिसंबर १९९२
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि पर बना राम मंदिर का विध्वंस किसने किया?
अ) घजनवी आक्रान्ता महमूद
ब) मुग़ल आक्रान्ता बाबर
क) खिलजी आक्रान्ता अल्लाउद्दीन
ड) तर्को मंगोल आक्रान्ता तैमूरलंग
उत्तर: ब) मुग़ल आक्रान्ता बाबर
==========
प्रश्न: स्वतंत्र भारत में रामजन्मभूमि पर हिन्दू धर्म की परम्पराओं के अनुसार पूजा का अधिकार मांगने वाला सबसे पहला प्रकरण कब और कहा दाखिल हुआ?
अ) १९५२ में अयोध्या के दीवानी न्यायाधीश के सामने
ब) १९५० में फैजाबाद के दीवानी न्यायाधीश के सामने
क) १९५० में अयोध्या के दीवानी न्यायाधीश के सामने
ड) १९५२ में फैजाबाद के दीवानी न्यायाधीश के सामने
उत्तर: ब) १९५० में फैजाबाद के दीवानी न्यायाधीश के सामने (पहले अयोध्या जिले का नाम फ़ैज़ाबाद था|)
==========
प्रश्न: १९५० में फैजाबाद के दीवानी न्यायाधीश के सामने किसने रामजन्मभूमि पर हिन्दू धर्म की परम्पराओं के अनुसार पूजा का अधिकार मांगने वाला सबसे पहला प्रकरण दाखिल किया था?
अ) निर्मोही अखाड़ा
ब) रामानंदी बैरागी
क) गोपाल सिंह विशारदजी
ड) इन में से सभी
उत्तर: क) गोपाल सिंह विशारदजी

==========
प्रश्न: किसके अनुसार २९ दिसंबर १९४९ तक रामजन्मभूमि पर मंदिर था?
अ) गोपाल सिंह् विशारदजी
ब) उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड
क) रामानंदी बैरागियों के अनुसार निर्मोही अखाड़ा के प्रभारी
ड) इनमे से कोई भी नहीं
उत्तर: क) रामानंदी बैरागियों के अनुसार निर्मोही अखाड़ा के प्रभारी
==========
प्रश्न: २९ दिसंबर १९४९ तक रामजन्मभूमि मंदिर का प्रबंधन किसके पास था?
अ) रामजन्मभूमि मंदिर के पुजारियों के पास
ब) निर्मोही अखाड़े के पास
क) गोपाल सिंह् विशारदजी के पास
ड) मंदिर ही नहीं था
उत्तर: ब) निर्मोही अखाड़े के पास
==========
प्रश्न: २९ दिसंबर १९४९ के बाद रामजन्मभूमि मंदिर का प्रबंधन कौन करने लगे और किसी सारा चढ़ावा मिलने लगा?
अ) रामजन्मभूमि मंदिर के पुजारि
ब) निर्मोही अखाड़ा
क) सुन्नी वक्फ बोर्ड
ड) पता नहीं
उत्तर: अ) रामजन्मभूमि मंदिर के पुजारि
==========
प्रश्न: उत्तर प्रदेश केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामजन्मभूमि के विवादित जमीन के मालिकाना हक के लिए फ़ैजाबाद के न्यायालय में कब अभियोग दाखिल किया?
अ) १९५९
ब) १९६१
क) १९६३
ड) १९९२
उत्तर: ब) १९६१
==========
प्रश्न: बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया?
अ) बाबर
ब) मीर बाकी
क) अकबर
ड) मिर्ज़ा ग़ालिब
उत्तर: ब) मीर बाकी
==========
प्रश्न: बाबरी मस्जिद के निर्माण के आदेश किसने दिए थे?
अ) बाबर
ब) मीर बाकी
क) अकबर
ड) मिर्ज़ा ग़ालिब
उत्तर: अ) बाबर
==========
प्रश्न: बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था?
अ) १७४० के दशक में
ब) १६२० के दशक में
क) १५३० के दशक में
ड) १४७० के दशक में
उत्तर: क) १५३० के दशक में
==========

प्रश्न: रामजन्मभूमि को हिन्दू मान्यताओ के अनुसार पूजन स्थल घोषित करने के लिए १९८९ में किसने फ़ैजाबाद के न्यायालय में दावा दाखिल किया?
अ) भगवान श्री राम विराजमानजी
ब) स्थान श्री राम जन्मभूमिजी
क) इन में से कोई भी नहीं क्यों की ये वास्तविक मनुष्य नहीं हैं
ड) विकल्प अ) और ब) दोनों क्यों की विधि के अनुसार दोनों का न्यायिक अस्तित्व हैं
उत्तर: विकल्प अ) और ब) दोनों
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि मंदिर प्रबंधन के लिए फ़ैजाबाद के न्यायालय में कब दावा दाखिल हुआ?
अ) १९५९
ब) १९६१
क) १९८९
ड) १९५०
उत्तर: अ) १९५९
==========
प्रश्न: फ़ैजाबाद के दीवानी न्यायालय में रामजन्मभूमि के लिए कितने दावे १९५० से १९९० तक दाखिल हुए?
अ) १
ब) २
क) ३
ड) ४
उत्तर: ड) ४
==========
प्रश्न: फ़ैजाबाद के न्यायालय में रामजन्मभूमि से जुड़े दाखिल ४ अभियोग किस न्यायलय में एक साथ सुने गए?
अ) अलाहाबाद उच्च न्यायलय
ब) लखनऊ उच्च न्यायलय
क) दिल्ली उच्च न्यायलय
ड) मुंबई उच्च न्यायलय
उत्तर: अ) अलाहाबाद उच्च न्यायलय
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि विवाद में अलाहाबाद उच्च न्यायलय ने किस दिन अपना निर्णय दिया?
अ) १४ अगस्त २००५
ब) ३० सितम्बर २०१०
क) ६ दिसंबर १९९२
ड) इन में से कोई नहीं
उत्तर: ब) ३० सितम्बर २०१०
==========
प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायलय के रामजन्मभूमि विवाद पर दिए निर्णय के अनुसार विवादित जमीन
अ) एक तिहाई हिस्सा हिन्दूओं का हैं
ब) एक तिहाई हिस्सा उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड का हैं
क) एक तिहाई हिस्सा निर्मोही अखाड़े का हैं
ड) विकल्प अ), ब) और क) तीनो
उत्तर: ड) विकल्प अ), ब) और क) तीनो
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि को लेकर ब्रिटिश काल में सबसे पहले दंगे कब हुए
अ) १८५६-५७
ब) १८००-०१
क) १९१२-१३
ड) १९४५-४६
उत्तर: अ) १८५६-५७
==========
प्रश्न: १८५६-५७ के रामजन्मभूमि के पास हुए हिन्दू मुस्लिम दंगो के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया?
अ) हिन्दू और मुस्लिम समुदायों में और विद्वेष निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों को हथियार दिए

ब) विवादित रामजन्मभूमि पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को अलग करने के लिए ७ फीट उची जाली और ईटों की दिवार बना दी
क) कोई कारवाही नहीं की और हिन्दू मुसलमानों को आपस में लड़ कर मरने दिया
ड) दंगा करने वाले सबको गोलियों से भुन दिया
उत्तर: ब) विवादित रामजन्मभूमि पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को अलग करने के लिए ७ फीट उची जाली और ईटों की दिवार बना दी
==========
प्रश्न: विवादित रामजन्मभूमि का एक हिस्सा ब्रिटिश राज में १८५६-५७ के साल में हिन्दुओं को दिया गया था, उस हिस्से में क्या था
अ) सीता रसोई
ब) राम चबूतरा
क) विकल्प अ) और ब) दोनों
ड) इन में से कोई नहीं
उत्तर: क) विकल्प अ) और ब) दोनों
==========
प्रश्न: किसने १८८५ में विवादित रामजन्मभूमि के राम चबूतरे पर राम मंदीर का निर्माण करने के लिए अनुमति हेतु फैजाबाद के उप-न्यायाधीश के समक्ष अभियोग दाखिल किया?
अ) निर्मोही अखाड़ा
ब) गोपाल सिंह विशारदजी
क) महंत रघुबर दासजी
ड) १८८५ में कोई अभियोग दाखिल ही नहीं हुआ
उत्तर: क) महंत रघुबर दासजी
==========
प्रश्न: महंत रघुबर दासजी ने फैजाबाद के उप-न्यायाधीश के समक्ष १८८५ में राम मंदीर का निर्माण करने के लिए अनुमति हेतु जो अभियोग दाखिल किया, क्या उसमे अनुमति दी गयी
अ) हा
ब) नहीं
उत्तर: ब) नहीं, क्यों की ब्रिटिश सरकार हमेशा से हिन्दू मान्यताओ का दमन करती आ रही हैं और आज भी जो प्रणाली हैं वो ब्रिटिश राज के नियमों के हिसाब से ही हो रही हैं|
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि में बने राम चबूतरे का क्षेत्रफल कितना था?
अ) ३५२ वर्ग फीट
ब) ३५७ वर्ग फीट
क) ३६२ वर्ग फीट
ड) ३६६ वर्ग फीट
उत्तर: ब) ३५७ वर्ग फीट. राम चबूतरे के एक बाजु १७ फीट और दुसरे २१ फीट लम्बी थी| और बस इतनी सी जगह में एक छोटासा मंदिर बांधने के लिए महंत रघुबर दासजी ने ब्रिटिश काल में कई न्यायालयों के सामने बार बार गुहार लगायी| और हर बार महंत रघुबर दासजी की प्रार्थाना की अनसुना कर दिया गया था|
==========
प्रश्न: महंत रघुबर दासजी ने जो अभियोग राम मंदिर के निर्माण के लिए १८८५ में दाखिल किया था उसकी सुनवाई जब फैजाबाद के ट्रायल न्यायाधीश के सामने हुई तब क्या निर्णय दिया गया
अ) मंदिर नहीं बना सकते क्यों की मंदिर बनने से हिन्दू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं
ब) राम चबूतरा और विवादित रामजन्मभूमि का बाहरी प्रांगण का स्वामित्व हिन्दू पक्ष के पास हैं
क) विकल्प अ) और ब) दोनों
ड) मंदिर बना सकते हैं
उत्तर: क) विकल्प अ) और ब) दोनों
==========
प्रश्न: क्या ट्रायल न्यायधीश के दी. २४ दिसंबर १८८५ के राम मंदिर बनाने की अनुमति को नकारनेवाले निर्णय को महंत रघुबर दासजी ने अस्वीकार करते हुए जिला न्यायाधीश फैजाबाद के सामने अपीलीय अभियोग दाखिल किया था?
अ) हा
ब) नहीं
उत्तर: अ) हा, महंत रघुबर दासजी रामलला का मंदिर १८८५ में बनवाना ही चाहते थे ३५७ वर्ग फीट के छोटे से राम चबूतरे पर और इसलिए वे उस मंदिर निर्माण की अनुमति चाहते थे| जब ट्रायल न्यायाधीश ने अनुमति नहीं दी तब वे जिला न्यायलय में अनुमति के लिए अपील लेकर गए|
====================

प्रश्न: महंत रघुबर दासजी की राम चबूतरे पर राम मंदिर निर्माण की अपील पर जिला न्यायाधीश ने क्या निर्णय दिया?
अ) महंत रघुबर दासजी की अपील को ख़ारिज कर दिया
ब) राम चबूतरे पर हिन्दू पक्ष का कोई भी स्वामित्व नहीं
क) विकल्प अ) और ब) दोनों
ड) मंदिर बना सकते हैं
उत्तर: क) विकल्प अ) और ब) दोनों| ब्रिटिश राज के न्यायलय केवल हिन्दू पक्ष को ही कोई भी अनुमति नहीं देता था| १८५६-५७ के दंगो के बाद ब्रिटिशों ने जो ईटों और जाली वाली दीवार बनायीं थी वो भी केवल बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए बनायीं थी| विवादित जमीन का बाहरी प्रांगन हिन्दू पक्ष को सौप दिया था| पर १८ मार्च १८८६ के दिन महंत रघुबर दासजी ने दाखिल किये अभियोग में बाहरी प्रांगन में बने राम चबूतरे पर हिन्दू पक्ष का कोई स्वामित्व नहीं हैं ऐसा कहते हुए राम मंदिर के निर्माण की अनुमति नहीं दी| ब्रिटिश राज प्रणाली केवल हिन्दू पक्ष पर हि जोर आजमाती थी|
==========
प्रश्न: महंत रघुबर दासजी ने जिला न्यायाधीश फ़ैजाबाद के निर्णय पर फिरसे १८८६ में न्यायिक आयुक्त औंध के सामने अपील दाखिल की और १ नवम्बर १८८६ के दिन न्यायिक आयुक्त औंध ने अपने निर्णय में
अ) ये बताया की महंत रघुबर दासजी के पास राम चबूतरे के स्वामित्व का कोई भी प्रमाण नहीं
ब) राम मंदिर के निर्माण की अनुमति की अपील ख़ारिज कर दी
क) विकल्प अ) और ब) दोनों
ड) मंदिर बना सकते हैं
उत्तर: क) विकल्प अ) और ब) दोनों| ब्रिटिश कालखंड में भी हिन्दू पक्ष पर हमेशा से अन्याय होते आया हैं| न्यायिक आयुक्त औंध ने भी महंत रघुबर दासजी की प्रार्थना को अनसुना कर दिया और ये भी कह दिया की उनके पास राम चबूतरे के स्वामित्व का कोई भी प्रमाण नहीं, जबकि १८५६-५७ के फैजाबाद के हिन्दू मुस्लिम दंगो के बाद विवादित जमीन के बाहरी प्रांगन के साथ उसपर बने ३५७ वर्ग फीट के राम चबूतरे और सीता रसोई का मालिकाना हक़ खुद ब्रिटिश अधिकारियों ने हिन्दू पक्ष को दिया था|
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि के लिए १९३४ में क्या हुआ?
अ) १९३४ में फिरसे हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए और बाबरी मस्जिद का गुम्बद तोड़ दिया गया|
ब) फिर से हिन्दू पक्ष ने राम मंदिर के निर्माण के लिए फ़ैजाबाद जिला न्यायाधीश के सामने अभियोग दाखिल किया|
क) मुस्लिम पक्ष ने पूरी विवादित जमीन के मालिकाना हक़ के लिए फ़ैजाबाद जिला न्यायाधीश के सामने अभियोग दाखिल किया|
ड) सब शांति और भाईचारे से रह रहे थे|
उत्तर: अ) १९३४ में फिरसे हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए और बाबरी मस्जिद का गुम्बद तोड़ दिया गया|
==========
प्रश्न: १९३४ में रामजन्मभूमि के लिए जब बाबरी मस्जिद का गुम्बद तोड़ दिया गया तब उस गुम्बद की मरम्मत किसने की?
अ) हिन्दू पक्ष ने
ब) ब्रिटिश सरकार ने
क) मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने
ड) किसी ने भी नहीं
उत्तर: ब) ब्रिटिश सरकार ने| हा १९३४ में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का प्रयास किया गया था| उस मस्जिद के गुम्बद की मरम्मत बाद में ब्रिटिश सरकार ने खुद की थी| अब ये तो जाहिर सी बात हैं की ब्रिटिश सरकार के पास जो पैसा आ रहा था वो हिन्दू समाज पर अन्याय कर के ही आ रहा था और हिन्दू मंदिरों को अपने कब्जे में लेकर ही आ रहा था| ब्रिटिश सरकार ३५७ वर्ग फीट के राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति हिन्दू पक्ष को नहीं दे सकी पर १९३४ में बाबरी मस्जिद की मरम्मत जरुर कर गई| और ये आज के परिवेश में भी कही न कही हो रहा हैं|
==========
प्रश्न: बाबरी मस्जिद के बिच वाले गुम्बद में रामजी की मूर्ति कब रखी गयी?
अ) २२ और २३ दिसंबर १९३४ के बिच की रात में
ब) २२ और २३ दिसंबर १९४० के बिच की रात में
क) २२ और २३ दिसंबर १९४४ के बिच की रात में
ड) २२ और २३ दिसंबर १९४९ के बिच की रात में
उत्तर: ड) २२ और २३ दिसंबर १९४९ के बिच की रात में| उस रात पचास साठ सनातनी भाइयों ने बाबरी मस्जिद के ताले तोड़ दिए और मस्जिद के बिच वाले गुम्बद के निचे रामजी की मूर्ति की स्थापना कर दी| और उसके बाद प्राथमिकी पंजीकृत की गयी|
==========
प्रश्न: बाबरी मस्जिद में राम मूर्तियों की स्थापना के बाद, दी. २९ दिसंबर १९४९ को फ़ैजाबाद-अयोध्या के अपर नगर मजिस्ट्रेट ने किस प्रावधान के अनुसार निर्णय दिया?
अ) धारा ३०२, भारतीय दंड संहिता
ब) धारा १४४, भारतीय दंड संहिता

क) धारा १४५, आपराधिक संहिता प्रक्रिया
ड) धारा २००, आपराधिक संहिता प्रक्रिया
उत्तर: क) धारा १४५, आपराधिक संहिता प्रक्रिया
==========
प्रश्न: २२ और २३ दिसंबर १९४९ के बिच की रात में जब विवादित जमीन के भीतरी प्रांगन में बने बाबरी मस्जिद में रामजी की मुर्तिया रखी गयी, उसके बाद फ़ैजाबाद-अयोध्या के अपर नगर मजिस्ट्रेट ने किसे भीतरी प्रांगन जहा मस्जिद बनी थी, उसका प्राप्तकर्ता प्रभारी बनाया?
अ) केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी
ब) निर्मोही अखाड़े के मठाधिपति
क) प्रिय दत्ता राम, अध्यक्ष फ़ैजाबाद नगर निगम
ड) गोपाल सिंह विशारदजी
उत्तर: क) प्रिय दत्ता राम, अध्यक्ष फ़ैजाबाद नगर निगम
==========
प्रश्न: क्या फ़ैजाबाद-अयोध्या के अपर नगर मजिस्ट्रेट ने क्या २२ दिसंबर १९४९ की रात विवादित जमीन के भीतरी प्रांगन में बने बाबरी मस्जिद में रामजी की जो मुर्तिया रखी, उन्हें हटाने का निर्णय दिया था?
अ) हा
ब) नहीं
उत्तर: ब) नहीं| भलेही फ़ैजाबाद-अयोध्या के अपर नगर मजिस्ट्रेट ने धारा १४५, आपराधिक संहिता प्रक्रिया के अनुसार निर्णय दिया हो पर हिन्दू एकता के चलते मस्जिद के अन्दर से मुर्तिया हटाई नहीं गयी और फिर उन स्थापित मूर्तियों की पूजा एवम भोग के लिए दो तिन पुजारियों को अनुमति दी गयी| अन्य साधारण हिन्दू नागरिक को ईटों और जाली से बनी दिवार से ही दर्शन लेने की अनुमति दी गयी|
==========
प्रश्न: गोपाल सिंह विशारादजी ने बाबरी मस्जिद के भीतर स्थापित रामजी की पूजा के लिए फैजाबाद के दीवानी न्यायाधीश के समक्ष किस दिन अभियोग दाखिल किया?
अ) १६ जनवरी १९५०
ब) २५ दिसंबर १९४९
क) १९ जनवरी १९५०
ड) २६ जनवरी १९५०
उत्तर: अ) १६ जनवरी १९५०| दर्शन हेतु आये गोपाल सिंह विशारादजी को सरकारी कर्मचरियों ने बाबरी मस्जिद के ढाचे के भीतर जाने से मनाई कर दी और उन्हें बाहर ईटों-जाली से बनी दिवार से ही दर्शन करने के लिए कहा गया| यह बात गोपाल सिंह विशारादजी को पसंद न आई और उन्होंने १६ जनवरी १९५० के दिन अपने धार्मिक अधिकारों के अनुसार फ़ैजाबाद के दीवानी न्यायालय में अभियोग दाखिल कर दिया|
==========
प्रश्न: गोपाल सिंह विशारादजी तरह किसने और कब अपने धार्मिक अधिकारों के अनुसार फ़ैजाबाद के दीवानी न्यायालय में एक और अभियोग दाखिल किया?
अ) परमहंस रामचंद्र दासजी ५ दिसंबर १९५०
ब) महंत रघुबर दासजी २६ दिसंबर १९५०
क) प्रिय दत्त रामजी १५ अगस्त १९५०
ड) अन्य किसी ने भी कभी नहीं
उत्तर: अ) परमहंस रामचंद्र दासजी| परमहंस रामचंद्र दासजी भी नवम्बर-दिसंबर १९५० में रामलला के दर्शन हेतु आये थे और उन्हें भी सरकारी कर्मचरियों ने बाबरी मस्जिद के ढाचे के भीतर जाने से मनाई कर दी और उन्हें बाहर ईटों-जाली से बनी दिवार से ही दर्शन करने के लिए कहा गया| यह बात गोपाल सिंह विशारादजी को पसंद न आई और उन्होंने ५ दिसंबर १९५० के दिन अपने धार्मिक अधिकारों के अनुसार फ़ैजाबाद के दीवानी न्यायालय में अभियोग दाखिल कर दिया| अब रामजी की पूजा की अनुमति लेने के लिए एक से भले दो हो गए थे| और भी लोग अगर उस समय जुड़ गए होते और मिलकर आवाज उठाते तो राम मंदिर का विवाद और भी जल्दी समाप्त हो गया रहता था|
==========
प्रश्न: गोपाल सिंह विशारादजी के अभियोग में क्या जिला दीवानी न्यायालय, फ़ैजाबाद ने किसी न्यायालयीन आयुक्त नियुक्त किया था?
अ) हा
ब) नहीं
उत्तर: अ) हा| जी हा गोपाल सिंह विशारादजी के अभियोग में जिला दीवानी न्यायालय, फ़ैजाबाद ने किसी न्यायालयीन आयुक्त नियुक्त किया था| और न्यायालयीन आयुक्त ने दी. १६.०४.१९५० तथा दी. ३०.०४.१९५० के दिन विवादित जमीन का प्रत्यक्ष परीक्षण तथा नपाई की थी|
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि का प्रमुख प्रवेशद्वार कौनसा था?
अ) सिंह द्वार उत्तर दिशा में
ब) हनुमत द्वार पूर्व दिशा में

क) वराह द्वार पश्चिम दिशा में
ड) कोई द्वार नहीं था पूरी जमीन खुली थी
उत्तर: ब) हनुमत द्वार पूर्व दिशा में|
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि के प्रमुख प्रवेश द्वार हनुमत द्वार पर क्या लिखा था?
अ) श्री राम मंदिर नित्य यात्रा
ब) जय श्री राम
क) श्री जन्म भूमि नित्य यात्रा
ड) हर हर महादेव
उत्तर: क) श्री जन्म भूमि नित्य यात्रा
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि के प्रमुख प्रवेश द्वार हनुमत द्वार के दो स्तम्भ किस पत्थर से बने थे?
अ) कसौटी
ब) कडप्पा
क) संगमरमर
ड) लाल पत्थर
उत्तर: अ) कसौटी
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि पर स्थित सीता रसोई का क्षेत्रफल कितना था?
अ) ८० वर्ग फीट
ब) ७२ वर्ग फीट
क) ८१ वर्ग फीट
ड) ६४ वर्ग फीट
उत्तर: ब) ७२ वर्ग फीट| सीता रसोई पर एक पक्का चूल्हा बना था| उसके पास संगमरमर चकला और बेलन भी रखे थे| चूल्हे की पूर्व दिशा में राम, लक्ष्मण, भारत तथा शत्रुघ्न की संगमरमर की चरण पादुकाये भी स्थापित थी| और ये सब कई दशको से बिना किसी छत के खुले में ही था|
==========
प्रश्न: विवादित रामजन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद के ढाचे में किस पत्थर से बने स्तम्भ थे?
अ) कसौटी
ब) कडप्पा
क) संगमरमर
ड) लाल पत्थर
उत्तर: अ) कसौटी
==========
प्रश्न: विवादित बाबरी मस्जिद ढाचे के स्तम्भ पर किसकी प्रतिमा उत्कीर्ण थी?
अ) तांडव करते शिवशंकर
ब) हनुमानजी
क) भगवान श्री कृष्ण
ड) इन सबकी प्रतिमा
उत्तर: ड) इन सबकी प्रतिमा
==========
प्रश्न: निर्मोही अखाड़े के महंत ने किस दिन विवादित रामजन्मभूमि के पूजन तथा प्रबंधन के सम्पूर्ण अधिकार के लिए फ़ैजाबाद जिला दीवानी न्यायालय में अभियोग दाखिल किया?
अ) १७ दिसंबर १९५०
ब) १७ दिसंबर १९५९
क) १७ दिसंबर १९५५
ड) १७ दिसंबर १९५४
उत्तर: ब) १७ दिसंबर १९५९| २२ दिसंबर १९४९ तक विवादित जमीन का जो हिस्सा हिन्दू पक्ष के अधीन था उस हिस्से पर बने राम चबूतरा, सीता रसोई, भंडार इत्यादि की देख-रेख और प्रबंधन का उत्तरदायित्व निर्मोही अखाड़े के पास था| उस रात विवादित बाबरी मस्जिद के अन्दर ५० – ६० सनातनी भाइयो ने रामजी की मुर्तिया स्थापित कर दी| और उसके बाद फ़ैजाबाद-अयोध्या के अपर नगर मजिस्ट्रेट ने धारा १४५, आपराधिक संहिता प्रक्रिया के अनुसार उक्त स्थान के प्रबंधन का उत्तरदायित्व नगर निगम को दे दिया| फिर १७ दिसंबर १९५९ ने निर्मोही अखाड़े के महंतजी ने उक्त

स्थान के पूजन एवं प्रबंधन का अधिकार केवल निर्मोही अखाड़े को हैं और अब निर्मोही अखाड़े के ये उत्तरदायित्व फिर से दिया जाए इसके लिए अभियोग दाखिल किया|

==========

प्रश्न: सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड और अयोध्या में रहनेवाले नौ मुसलमानों ने किस दिन फ़ैजाबाद जिला दीवानी न्यायालय में बाबरी मस्जिद में स्थापित रामजी की मूर्तियों को हटवाने के लिए अभियोग दाखिल किया?

अ) १८ दिसंबर १९६१

ब) १८ दिसंबर १९५९

क) १८ दिसंबर १९५७

ड) १८ दिसंबर १९५५

उत्तर: अ) १८ दिसंबर १९६१

==========

प्रश्न: विवादित बाबरी मस्जिद में स्थापित रामजी की मूर्तियों के दर्शन हेतु जाली-ईटों की दीवार पर लगे ताले खुलवाने के लिए किसने और कब फ़ैजाबाद जिला न्यायालय में अभियोग दाखिल किया?

अ) परमहंस रामचंद्र दासजी दी. ५ दिसंबर १९५०

ब) गोपाल सिंह विशारादजी दी. १६ जनवरी १९४९

क) महंत रघुबर दासजी दी. १ नवम्बर १८८६

ड) उमेश चन्द्र जी दी. २५ जनवरी १९८६

उत्तर: ड) उमेश चन्द्र जी दी. २५ जनवरी १९८६| १९८५ के अंत में उमेश चन्द्र जी रामलला के दर्शन हेतु विवादित रामजन्मभूमि स्थल पर गए थे| उन्हें भी जाली-ईटों से बनी दीवार के पास खड़े रहकर दर्शन लेने पड़े जिसपर उन्हें अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता लगा और उन्होंने भी फ़ैजाबाद जिला न्यायालय में अभियोग दाखिल किया| १८८५ में ब्रिटिश राज के अनुसार बने नियमों पर चलने वाली न्यायव्यवस्था में महंत रघुबर दासजी ने पहला अभियोग दाखिल किया और तब से न जाने कितनी बार सनातनी भाइयो को न्यायालय के द्वार खटखटाने पड़े और अभीभी सभी अभियोगों की सुनवाई केवल जिला न्यायालय में ही हो रही थी| बस ये धीमी गति से चलने वाली न्याय व्यवस्था ही हिन्दू पक्ष के गुस्से का कारण बनी थी|

==========

प्रश्न: उमेश चन्द्रजी के विवादित बाबरी ढाचे के ताले खुलवाने के अभियोग में फ़ैजाबाद जिला न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था?

अ) विवादित बाबरी ढाचे के जाली-ईटों की दीवार के ताले नहीं खोलने हैं

ब) विवादित बाबरी ढाचे के जाली-ईटों की दीवार के ताले खोलने हैं

क) कोई निर्णय नहीं, प्रकरण प्रलंबित रहा कई वर्षो तक

ड) कोई निर्णय नहीं, अभियोगकर्ता ने अभियोग वापस ले लिया

उत्तर: ब) विवादित बाबरी ढाचे के जाली-ईटों की दीवार के ताले खोलने हैं| हा २५ जनवरी १९८६ के दिन उमेश चंद्रजी ने दाखिल किये अभियोग पर सुनवाई हुई और फ़ैजाबाद जिला दीवानी न्यायाधीश ने १ फ़रवरी १९८६ के दिन विवादित बाबरी ढाचे के जाली-ईटों की दीवार के ताले खोलने के आदेश दे दिए|

==========

प्रश्न: रामजन्मभूमि के ताले खोलने वाले उमेश चंद्रजी के अभियोग में दिए गए फ़ैजाबाद जिला दीवानी न्यायाधीश के निर्णय पर अलाहाबाद उच्च न्यायालय में कोई अपील दाखिल की थी क्या?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: अ) हा| रामजन्मभूमि के ताले खोलने वाले उमेश चंद्रजी के अभियोग में दिए गए फ़ैजाबाद जिला दीवानी न्यायाधीश के निर्णय पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए याचिका दाखिल की| जिसके परिणाम स्वरुप ३ फरवरी १९८६ के दिन अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय का निर्णय स्थगित कर दिया और विवादित बाबरी ढाचे में स्थापित रामजी के दर्शन एवं पूजन से हिन्दू समाज को फिर से रोका गया| सौ साल से ज्यादा समय के बाद कहा जाकर १९८६ में रामजन्मभूमि का विवाद उच्च न्यायालय के पटल पर रखा गया| तब तक न जाने कितने निर्दोष हिन्दू मारे गए केवल रामजी की पूजा करने की इच्छा रखने के लिए और न जाने कितने हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए और देश में अशांति बनी रही| पर फिर भी न्याय किसी भी पक्ष के साथ नहीं किया गया|

==========

प्रश्न: भगवान श्री राम विरजमान जी ने अपने ही जन्मस्थल के लिए कब अभियोग दाखिल किया?

अ) १ जुलाई १९८६

ब) १ जुलाई १९८७

क) १ जुलाई १९८८

ड) १ जुलाई १९८९

उत्तर: ड) १ जुलाई १९८९| हा सनातनी भक्तों की भक्ति देख कर और पूजन तथा दर्शन के लिए दृढ संकल्प देखकर भगवान श्री राम विरजमान जी तथा स्थान श्री राम जन्म भूमि अयोध्या जी ने अपने भक्त सखा श्री देवकी नंदन अग्रवालजी के माध्यम से फ़ैजाबाद जिला दीवानी न्यायालय में अभियोग दाखिल किया| श्री देवकीनंदन अग्रवालजी अलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके थे|

==========

प्रश्न: जितने भी अभियोग रामजन्मभूमि के लिए फैजाबाद जिला दीवानी न्यायालय में भारत की स्वतंत्रता के बाद दाखिल हुए वो किस दिन अलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए एकसाथ लिए गए?

अ) १० जुलाई १९८९

ब) १० जुलाई १९८८

क) १० जुलाई १९८७

ड) १० जुलाई १९८६

उत्तर: अ) १० जुलाई १९८९| हा भाई जब रामलला ने खुद अपने लिए अभियोग दाखिल किया तब जाकर कहा अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अभियोग जो रामजन्मभूमि के विवाद से जुड़े थे उनको एकसाथ सुनवाई के लिए १० जुलाई १९८९ के दिन लिया और २१ जुलाई १९८९ के दिन अलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने तिन न्यायाधीशों के खंडपीठ का गठन किया| स्वतंत्र भारत में चालीस साल तक हिन्दू बहुल जनता को अपने धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं कोई निर्णय नहीं ऐसी स्थिति निर्माण हुई और इसका कारण केवल धीमी न्याय व्यवस्था एवम तत्कालीन राज्य सरकार एवम केंद्र सरकार की नीतिया थी| और जब मामला उच्च न्यायालय में गया तब जाकर कहा उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस विवाद में आवेदन दिया| तबतक रामजी ताले में ही थे और रामभक्त जाली से ही दर्शन कर रहे थे|

==========

प्रश्न: क्या तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित रामजन्मभूमि का कुछ हिस्सा भुसंपादित किया था?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: अ) हा| तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भूअधिग्रहण अधिनियम १८९४ की धराये ४(१), ६ एवम १७(४) के अनुसार हिन्दू पक्ष के स्वामित्व वाली रामजन्मभूमि की कुछ जमीन तथा विवादित जमीन के आस पास की कुछ और जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल २.७७ एकड़ था उसका अधिग्रहण कर लिया था और इसके लिए उक्त अधिनियम के अनुसार दी. ७ अक्तूबर १९९१ तथा १० अक्तूबर १९९१ को अधिसूचनाये प्रकाशित की गयी| फिर अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल रिट याचिका के तहत दी. ११ दिसंबर १९९२ को इस भूअधिग्रहण को स्थगित किया गया|

==========

प्रश्न: ६ दिसंबर १९९२ के दिन सनातनी भाइयो ने अयोध्या में क्या किया?

अ) बाबरी मस्जिद तथा दीवार का विध्वंस किया

ब) बाबरी मस्जिद की जगह अस्थायी ढाचा तयार किया

क) रामजी, लक्ष्मणजी, सीताजी एवम हनुमानजी की मुर्तिया स्थापित की

ड) उक्त सभी किया

उत्तर: ड) उक्त सभी किया| हा धीमी गति से चलने वाली न्याय व्यवस्था की वजह से और तत्कालीन सरकरी नीतियों से परेशान सनातनी भाइयों ने उक्त सभी काम ६ दिसंबर १९९२ के दिन किये| उसदिन हिन्दू एकता का वो प्रदर्शन हुआ जो कई सदियों से भारत की भूमि ने नहीं देखा था| और आज भी उस हिन्दू एकता की आवश्यकता भारत माता को हैं| पर हिन्दू भाई अपनी मूल सनातन संस्कृति को भूल जातियों में बटा हैं और मुफ्त के दिए लालच से गलत नेता को बार बार चुन रहा हैं|

==========

प्रश्न: बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने अयोध्या के लिए कौनसा अन्यायपूर्ण अधिनियम लागू किया?

अ) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३

ब) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३

क) पूजास्थल अधिनियम, १९९१

ड) कोई भी नया कानून नहीं आया

उत्तर: अ) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३| तत्कालीन सरकार ने अयोध्या की जनता को और भी तकलीफ देने के लिए अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ को लागु किया था| इस अधिनियम के चलते केंद्र सरकार ने पुरे अयोध्या में ६८ एकड़ जमीन का अधिग्रहण बलात कर लिया था| इस ६८ एकड़ में कुछ जमीन रामजन्मभूमि की भी थी और उसके आस पास की भी थी| अयोध्या के ही इस्माइल फारुकी के साथ कई लोगों ने इस भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति जताते हुए अनेक रिट याचिकाए अलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की| उक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर भी प्रश्न: उठाया गया| कुछ लोगों ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी गुहार लगायी थी|

==========

प्रश्न: अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ की संवैधानिक वैधता पर उठाये प्रश्न: पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

अ) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ पूर्णत: संवैधानिक हैं

ब) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ पूर्णत: असंवैधानिक हैं

क) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं

ड) कोई निर्णय नहीं दिया और सभी याचिकाये ख़ारिज कर दी

उत्तर: क) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं| सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय तथा अलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, १९९३ से जुडी सभी याचिकाओ की सुनवाई एक साथ करते हुए दी. २४ अक्तूबर १९९४ को डॉ. मो. इस्माइल फारुकी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध निर्णय दिया| जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की उक्त अधिनियम की धारा ४(३) असंवैधानिक हैं और बाकी पूरा अधिनियम संवैधानिक हैं|

==========

प्रश्न: तत्कालीन राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद १४३ के तहत क्या प्रश्न: पूछा था?

अ) विवदित ढाचे का विवाद कब ख़त्म होगा?

ब) विवदित ढाचे के पर रामजन्मभूमि मंदिर तथा बाबरी मस्जिद के निर्माण के पहले कोई हिन्दू धार्मिक स्थल था या नहीं?

क) ऐसा कोई प्रश्न: राष्ट्रपति नहीं पूछ सकते

ड) इसपर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई चर्चा नहीं की

उत्तर: ब) विवदित ढाचे के पर रामजन्मभूमि मंदिर तथा बाबरी मस्जिद के निर्माण के पहले कोई हिन्दू धार्मिक स्थल था या नहीं? तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने देश की सामाजिक अशांति को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद १४३ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में जनता के कल्याण के लिए अपने अधिकारों के अनुसार यह प्रश्न: पूछा की विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि मंदिर तथा बाबरी मस्जिद के पहले कोई हिन्दू धार्मिक स्थल था या नहीं? इस प्रश्न: का सन्दर्भ इस्माइल फारुकी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था| पर इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ ने नहीं दिया| और फिर विवादित जमीन से जुड़े सभी अभियोग जो अलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रलंबित थे उन्हें फिर से पुन: अलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए कहा गया|

==========

प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय में रामजन्मभूमि विवाद से जुड़े अभियोग में कब से मौखिक साक्ष्य लेना प्रारंभ हुआ?

अ) दी. २४ अक्तूबर १९९४

ब) दी. २४ जुलाई १९९६

क) दी. २३ अक्तूबर २००२

ड) दी. १७ फ़रवरी २००३

उत्तर: ब) दी. २४ जुलाई १९९६| दी. २४ अक्तूबर १९९४ को सर्वोच्च न्यायालय के इस्माइल फारुकी निर्णय के अनुसार रामजन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी अभियोगों की पुनः सुनवाई अलाहाबाद उच्च न्यायालय में शुरु हो गयी| फ़ैज़ाबाद जिला दीवानी न्यायालय में इन अभियोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और न ही कोई साक्ष्य ली गयी थी| इसीलिए अलाहाबाद उच्च न्यायालय में दी. २४ जुलाई १९९६ से मौखिक साक्ष्य लेना प्रारंभ हुआ| स्वतंत्र भारत के नागरिकों के धार्मिक अधिकारों का इतने वर्षो से उल्लंघन तो चल ही रहा था पर उसकी कोई सुनवाई भी पूरी नही हो रही थी| धीमी गति से चलती न्याय व्यवस्था और अन्यायकारी सरकारी नीतिया दोनों भी इसके कारण हैं| और धीरे धीरे ये मुद्दा राजनैतिक दलों के लिए वोट बैंक का कारण कब बन गया पता ही नहीं चला| इसी बिच बाबरी विध्वंस के साथ साथ पुरे देश में कई दंगे हुए जिसमे न जाने कितने निर्दोष राम भक्त मारे गए|

==========

प्रश्न: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस दिन अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित बाबरी मस्जिद तथा रामजन्मभूमि का वैज्ञानिक अन्वेषण करने हेतु आदेश दिया?

अ) दी. २४ अक्तूबर १९९४

ब) दी. २४ जुलाई १९९६

क) दी. २३ अक्तूबर २००२

ड) दी. १७ फ़रवरी २००३

उत्तर: क) दी. २३ अक्तूबर २००२| विवाद ब्रिटिश काल से चल रहा था| तभी के तभी समाप्त हो गया होता अगर ब्रिटिश काल में बने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को न्यायलय ने वैज्ञानिक अन्वेषण करने हेतु आदेश दे दिए रहते| स्वतंत्र भारत में करीब करीब ५५ साल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस विवाद में आदेश दिए गए| भलेही सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के पूछे प्रश्न का उत्तर उस समय न दिया हो पर उस प्रश्न का उत्तर ही पुरे विवाद का हल था| और उस प्रश्न का उत्तर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिक अन्वेषण के बाद ही मिलना था|

==========

प्रश्न: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विवादित बाबरी मस्जिद ढाचे तथा रामजन्मभूमि के वैज्ञानिक अन्वेषण करने हेतु कौनसी तकनीक का उपयोग किया था?

अ) मैग्नेटोमीटर

ब) विद्युत प्रतिरोध मीटर

क) ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर)

ड) विद्युत चुम्बकीय (ईएम) चालकता

उत्तर: क) ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर)

==========

प्रश्न: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विवादित बाबरी मस्जिद ढाचे तथा रामजन्मभूमि के वैज्ञानिक अन्वेषण की ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) रिपोर्ट अलाहाबाद उच्च न्यायालय में कब प्रस्तुत की?
अ) दी. २४ अक्तूबर १९९४
ब) दी. २४ जुलाई १९९६
क) दी. २३ अक्तूबर २००२
ड) दी. १७ फ़रवरी २००३
उत्तर: ड) दी. १७ फ़रवरी २००३|
==========
प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) रिपोर्ट के अनुसार रामजन्मभूमि पर स्थित विवादित ढाचे में क्या मिला?
अ) कई स्तम्भ, कई बुनियादी ढाचे, कई दीवारे
ब) कुछ भी नहीं
क) कुछ पुराने मृत शरीर
ड) हड़प्पा जैसा एक गाव
उत्तर: अ) कई स्तम्भ, कई बुनियादी ढाचे, कई दीवारे
==========
प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित बाबरी ढाचे तथा रामजन्मभूमि के क्षेत्र में उत्खनन करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कब आदेश दिए?
अ) दी. ५ मार्च २००३
ब) दी. २२ अगस्त २००३
क) दी. २३ अक्तूबर २००२
ड) दी. १७ फ़रवरी २००३
उत्तर: अ) दी. ५ मार्च २००३| जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणके ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) रिपोर्ट के अनुसार रामजन्मभूमि पर स्थित विवादित ढाचे तथा जमीन के बहोत बड़े हिस्से के निचे कई स्तम्भ, कई बुनियादी ढाचे, कई दीवारे रहने का प्रमाण मिला तो अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त स्थान पर उत्खनन करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दी. ५ मार्च २००३ को आदेश दिए|
==========
प्रश्न: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विवादित बाबरी ढाचे तथा रामजन्मभूमि के क्षेत्र में उत्खनन कर किस दिन अपनी रिपोर्ट अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की?
अ) दी. ५ मार्च २००३
ब) दी. २२ अगस्त २००३
क) दी. २३ अक्तूबर २००२
ड) दी. १७ फ़रवरी २००३
उत्तर: ब) दी. २२ अगस्त २००३
==========
प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कितने व्यक्तियों ने रामजन्मभूमि विवाद में शपथपूर्ण साक्ष्य दी थी?
अ) २८
ब) १४
क) ७८
ड) ८७
उत्तर: ड) ८७| जी हा स्वतंत्र भारत में अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा हेतु केवल ८७ लोग रामजन्मभूमि मामले में शपथपूर्ण साक्ष्य देने के लिए सामने आये| इसमें दोनों पक्ष के लोग थे| और बाकि बुद्धिजीवी भारत की जनता को केवल धर्म और जातियों के आधार पर विभाजित करने में ही धन्यता मान रहे थे| अगर कोई हिन्दू एकता की बात करता तो उसकी आवाज दबा दी जाती थी| हिन्दुओ में जातीय विद्वेष निर्माण करने वाली कई दस्तावेजी फिल्मे दूरदर्शन जैसे सरकारी टेलीविज़न नेटवर्क पर दिखाई जाने लगी थी| इसीलिए आज भी भारत की विवधता को एकसूत्र में बांधने वाला संविधान होकर भी भारत के लोग धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर विभक्त हो गए हैं| यह सब रुक सकता था अगर तत्कालीन सरकारी नीतिया रामजन्मभूमि जैसे विवादों को बढ़ावा देने के बजाय समाप्त करने के लिए होती| और भारत की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था ऐसे विवादों में अपना निर्णय देने में विलम्ब न करती|
==========
प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कितने रामजन्मभूमि विवाद में कितने दस्तावेज प्रस्तुत किये गए थे?
अ) ५३३
ब) ६०७
क) ३१२

ड) १००४

उत्तर: अ) ५३३| और यही दस्तावेज सही मायने में पढ़ने और उनसे ज्ञान लेने के लायक हैं| भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी जो समाज को जाती और धर्म के नाम पर भ्रमित करते आये हैं उनके लिखे पुस्तकों को पढ़कर केवल विद्वेष ही निर्माण होगा जो हिन्दू समाज को जातियों में बाटने के अलावा कुछ नही कर रहा हैं|

==========

प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रामजन्मभूमि विवाद का रिकॉर्ड कितने पन्नो का हो गया था?

अ) १९९०

ब) १३९९०

क) १००५०

ड) १२५३०५

उत्तर: ब) १३९९०| अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीले तथा दस्तावेजी प्रमाण का रिकॉर्ड १३९९० पन्नो का हैं| और इसके अलावा दोनों पक्ष अपनी बात को सिद्ध करने हेतु संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पारसी, तुर्की, फ्रेंच, अंग्रेजी और अन्य भारतीय मूल की कई भाषाओं में लिखे कई सन्दर्भ ग्रंथो का भी उल्लेख किया हैं| जो भी इस विवाद में साक्ष्य दे रहे थे तथा विविध प्रमाण दे रहे थे वही लोग सही मायने में भारत के समाज को दिशा दे सकते हैं|

==========

प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कब दिया?

अ) ३० सितम्बर २००४

ब) ३० सितम्बर २००८

क) ३० सितम्बर २०१०

ड) ३० सितम्बर २००६

उत्तर: क) ३० सितम्बर २०१०| सरकारी नीतियों के सामने विवश भारत की तथाकथित स्वतंत्र न्याय प्रणाली ने १५३० के दशक में शुरू हुए विवाद पर अपना निर्णय आखिर कार ३० सितम्बर २०१० को दे ही दिया|

==========

प्रश्न: ३० सितम्बर २०१० को दिए गए रामजन्मभूमि से जुड़े निर्णय में अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसे रामजन्मभूमि का स्वामित्व दिया?

अ) निर्मोही अखाड़ा को पूरा हिस्सा

ब) हिन्दू पक्ष को पूरा हिस्सा

क) मुस्लिम पक्ष को पूरा हिस्सा

ड) निर्मोही अखाड़ा, हिन्दू पक्ष और मुस्लिम पक्ष तीनो में हर एक को एक तिहाई हिस्सा

उत्तर:: ड) निर्मोही अखाड़ा, हिन्दू पक्ष और मुस्लिम पक्ष तीनो में हर एक को एक तिहाई हिस्सा| अलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय किसी भी पक्ष को रास न आया और तीनो पक्ष की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में २०१० और २०११ के वर्षो में कुल मिलाकर १४ याचिकाए दाखिल की गयी| और इस बात पर कुछ लोग राजनीती करते हुए विवादित जमीन पर मंदिर तो बिलकुल नहीं बनाना चाहिए ऐसी बयान बाजी करने लगे| खुद को बहुत बड़ा व्यंगकार कहने वाले कुछ लोग इसपर तंज कसते हुए हिन्दू भावनाओं का अपमान करने में ही अपनी आय को सुनिश्चित करने लगे थे| तथाकथित व्यंगकार एवम बुद्धिजीवी हिन्दू देवताओ का मजाक उड़ाने तथा हिन्दू समुदाय को आपस में भिड़ाने पर अड़े हुए थे| इस पुरे मामले में न हिन्दू दोषी थे और न ही मुस्लिम क्यों की दोनों ही पक्ष अपने धार्मिक अधिकार के लिए लड़ रहे थे| पर वे लोग दोषी जरुर हैं जिन्होंने अस्पताल या यूनिवर्सिटी बनाने की सलाह देते हुए हिन्दू भावनाओं को तो आहत किया ही पर कही न कही परोक्ष रूप से मस्जिद बनाने की इच्छा रखने वाले मुस्लिम पक्ष को बिना नाम लिए अपमानित किया| आज मुस्लिम पक्ष को यही लगता हैं की पुरे सिस्टम में उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा हैं पर ये मुस्लिम पक्ष को भी समझना जरुरी है जो लोग आज कुछ पैसों तथा सस्ती लोकप्रियता के लिए हिन्दू भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं वो कल चल कर उन्ही कुछ पैसों के लिए मुस्लिम पक्ष का भी मजाक उड़ाना शुरू करेंगे| अब यही देखिये हाल ही में प्रदर्शित हुई पठान फिल्म में पठान – एक मुस्लिम जाती को पूरी तरह से लड़कीबाज बताया गया जबकि पठान या मुस्लिम ऐसे नहीं होते ऐसा दावा कई मौलवियों ने कर फिल्म का विरोध किया| उसके बाद आई रामायण कथा पर आधारित आदिपुरुष फिल्म में रावण तथा असुर सेना को मुस्लिमो की तरह बताया गया| जब आम मुस्लिमो से इसपर राय मांगी गयी तो लोग बोले यह पूरी फिल्म भगवान राम की तौहीन तो हैं ही पर राक्षसों को मुस्लिमों की तरह बताकर कही न कही समाज में मुस्लिमों के प्रति डर और संशय का उदभव हो गया हैं| ये दोनों पक्षों को ध्यान में रखने की जरुरत हैं की तथाकथित लोकप्रिय व्यक्ति जो लेखक, कलाकार अथवा व्यंगकार हैं वो केवल पैसों के लिए काम कर रहे हैं अगर पैसों के लिए उन्हें मुस्लिमों को बुरी तरह से बताना पड़ा तो वो वह भी करेंगे|

==========

प्रश्न: रामजन्मभूमि विवाद पर दिए अलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर दाखिल सभी अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दी. ८ मार्च २०१९ को मध्यस्थों का पैनल गठित किया था उसके सदस्य कौन थे?

अ) जस्टिस फक्किर मो. इब्राहीम कलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर, अधिवक्ता श्री श्रीराम पंचू

ब) श्री श्री रविशंकर, कमिश्नर शिव शंकर लाल, डॉ. मो. इस्माइल फारुकी

क) नरेन्द्र मोदी, जस्टिस एस यु खान, रामनाथ कोबिंद

ड) अरविन्द केजरीवाल, राहुल गाँधी, असदुद्दीन ओवैसी

उत्तर: अ) जस्टिस फक्किर मो. इब्राहीम कलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर, अधिवक्ता श्री श्रीराम पंचू

==========
प्रश्न: मध्यस्थों के पैनल के रिपोर्ट के अनुसार रामजन्मभूमि विवाद पर कौन समझौता करना चाहता था?
अ) परमहंस रामचंद्र दासजी
ब) ज़फर अहमद फारुकी
क) उमेश चंद्रजी
ड) श्री देवेकिनंदन अग्रवालजी
उत्तर: ब) ज़फर अहमद फारुकी| जी हा आपको ये किसी भी मीडिया ने नहीं बताया की रामजन्मभूमि विवाद पर समझौता कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थों का एक पैनल भी बनवाया था| इस पैनल के सामने पुरे मामले की चर्चा होने के बाद मुस्लिम पक्ष की एक पार्टी जिनका नाम जफ़र अहमद फारुकी हैं, और वो सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, वो खुद इस विवाद पर समझौता चाहते थे| उन्होंने कहा था की विवादित जमीन पर से सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अपने सारे अधिकार कुछ शर्तो के साथ त्यागने के लिए तैयार हैं| पर इस समझौते की शर्ते इस पुरे विवाद से जुड़े बाकि सभी पार्टियों को मंजूर नहीं थी इसीलिए इस विवाद का हल समझौते से नहीं हुआ| समझौते को न मानने वाले हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्षों से थे| पर आपको मीडिया ने एवम तथाकथित बुद्धिजीवीयों ने इस समझौते के बारे में बताया ही नहीं|
==========
प्रश्न: १९५० में गोपाल सिंह विशारादजी को विवादित बाबरी ढाचे में स्थापित रामजी के दर्शन एवम पूजन से किसने रोका?
अ) अयोध्या में रहने वाले पाच मुस्लिम आदमियों ने
ब) निर्मोही अखाड़े के महंत ने
क) सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड ने
ड) फ़ैजाबाद के अपर नगर मजिस्ट्रेट ने
उत्तर: अ) अयोध्या में रहने वाले पाच मुस्लिम आदमियों ने| विवादित बाबरी ढाचे में स्थापित रामजी की पूजा तथा भोग के लिए २ से ३ पुजारियों को केवल अनुमति दी गयी थी| बाकी पुरे मस्जिद में दिन भर मुस्लिम लोग रुके रहते थे| जब गोपाल सिंह विशारादजी रामजी के दर्शन तथा पूजन हेतु मस्जिद के भीतर जाने लगे तब मस्जिद में बैठे पाच मुस्लिम आदमियों ने उन्हें रोका था और ये दलील की फ़ैजाबाद के अपर नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार केवल २ या ३ पुजारी रामजी की पूजा तथा भोग के लिए अन्दर आ सकते हैं| यहाँ एक और बात जानना जरुरी हैं की तत्कालीन गोविन्द वल्लभ पन्त की कांग्रेस की राज्य सरकार रामजी की स्थापित मूर्तियों को हटाना चाहती थी इसीलिए अपने दाखिल किये प्रकरण में गोपाल सिंह विशारादजी ने यह भी प्रार्थना की थी की उत्तर प्रदेश सरकार, फ़ैजाबाद उप आयुक्त, फ़ैजाबाद अपर नगर मजिस्ट्रेट, फैजाबाद पुलिस अधीक्षक तथा अयोध्या एवम फ़ैजाबाद के मुस्लिम समाज पर मुर्तिया विवादित ढाचे से हटाने पर रोक लगायी जाए|
==========
प्रश्न: बाबरी मस्जिद को सुन्नी वक्फ किस आधार पर कहा गया था?
अ) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट १९३६
ब) मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, १९३७
क) वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट, १९४०
ड) इन में से कोई भी नहीं
उत्तर: अ) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट १९३६
==========
प्रश्न: सन १९५० की तत्कालीन गोविन्द वल्लभ पन्त की कांग्रेस की राज्य सरकार ने गोपाल सिंह विशारादजी के फ़ैजाबाद जिला दीवानी न्यायालय में दाखिल रामजन्मभूमि से जुड़े प्रकरण में विवादित बाबरी ढांचे को लेकर क्या बयान दिया था?
अ) विवादित बाबरी ढाचे पर कई सालों से मुस्लिम नमाज अदा कर रहे हैं और वह कोई रामजी का मंदिर नहीं हैं
ब) २२ दिसंबर १९४९ की रात बाबरी मस्जिद में कुछ लोगों ने चुपकेसे रामजी की मुर्तिया रख दी
क) विकल्प अ) एवं ब) दोनों
ड) इन में से कोई भी नहीं
उत्तर: क) विकल्प अ) एवं ब) दोनों| विवादित ढाचे पर राम मंदिर के अस्तित्व को उस समय की गोविन्द वल्लभ पन्त की कांग्रेस की राज्य सरकार ने तो नकार ही दिया था| पर बाद में भी २०१० तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राम मंदिर के अस्तित्व को नकारती रही और यही बार बार न्यायालय में बयान देती रही की उक्त स्थान पर केवल मस्जिद हैं, वहा कोई भी राम मंदिर नहीं हैं| और यही कहना फ़ैजाबाद अपर नगर मजिस्ट्रेट, फैजाबाद पुलिस अधीक्षक का भी था|
==========
प्रश्न: रामानंदी बैरागियों को क्या कहा जाता हैं?
अ) बिश्नोई
ब) निर्मोही
क) रामानंदी
ड) वैष्णव
उत्तर: ब) निर्मोही| रामजन्मभूमि का प्रबंधन कई सदियों से निर्मोही अखाड़े के पास था| निर्मोही अखाड़ा रामानंदी बैरागियों का हैं और रामानंदी बैरागियों को निर्मोही कहा जाता हैं| निर्मोही अखाड़े के पास कई मंदिरों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं तथा निर्मोही अखाड़े ने रामजन्मभूमि प्रकरण में

ये बयान दिया हैं की १९३४ में हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगो के बाद से कोई भी मुस्लिम रामजन्मभूमि स्थान पर नहीं आया| तथा विवादित बाबरी ढाचे को छोड़ बाकी जो जमीन का हिस्सा हैं वो रामजन्मभूमि का हैं और उस स्थान पर नियमित रूप से हिन्दू भक्त आते रहे हैं तथा दर्शन एवं पूजन करते रहे हैं| "निर्मोही" यह शब्द भारतीय सिनेमा में बड़े गंदे अर्थ से बताया गया हैं| कई ऐसे गीत हैं जिसमे किसी व्यक्ति को निर्मोही बताया गया हैं और फिर उसके लिए कोई लड़की अश्लील नृत्य कर उसे रिझा लेती हैं ऐसे बताया गया हैं| "निर्मोही" इस शब्द का बार बार प्रयोग कर निर्मोही सन्यासियों को ही बदनाम करने की या जिसने गृहस्थी में भी मोह को त्याग दिया हो ऐसे व्यक्तियों की साधना का गंदे तरीके से मजाक जानबूझ कर भारतीय सिनेमा में १९४९ से किया गया हैं| क्यों की भारतीय हिन्दू आस्था का मजाक उड़ाना यही भारतीय सिनेमा जगत में शुरू से होता आया हैं| इसकी वजह भी कही न कही हिन्दू हैं जो ऐसी भद्दी फिल्मे देखने जाता था और आज भी जा रहा हैं|
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि विवाद में उत्तर प्रदेश केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या बयान दिए थे?
अ) विवादित बाबरी ढाचे के बाहर की जगह मुस्लिम कब्रिस्तान हैं
ब) विवादित बाबरी ढाचे में मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर ही हिन्दू लोग पूजा करते आये हैं
क) विवादित जमीन से थोड़ी दुरी पर एक और रामजन्मभूमि मंदिर कई सालों से हैं
ड) इन में से सभी
उत्तर: ड) इन में से सभी
==========
प्रश्न: रामजन्मभूमि विवाद में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने क्या बयान दिए थे?
अ) भारत की स्वतंत्रता के बाद देश में मूल हिन्दू विधि का पुन: प्रवर्तन हुआ हैं
ब) विवादित स्थान रामजन्मभूमि हैं तथा उसपर कोई भी मस्जिद नहीं बांधी जा सकती
क) विवादित ढाचे में पहले से ही मुर्तिया थी किसी ने भी चुपके से मूर्तियों की स्थापना नहीं की
ड) इन में से सभी
उत्तर: ड) इन में से सभी| हा सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड ने अपने अभियोग में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा को भी प्रतिवादी बनाया था|
==========
प्रश्न: अभिराम दासजी तथा धरमदासजी ने रामजन्मभूमि विवाद में क्या बयान दिया
अ) विवादित जगह चारो तरफ से मंदिरों से घिरी हुई हैं और मुस्लिम कानून के हिसाब से ऐसी जगह पर मस्जिद नहीं बांधी जा सकती
ब) मुस्लिम कानून के हिसाब से विरुद्ध अधिग्रहण (adverse possession) से वक्फ नहीं बन सकता
क) रामजन्मभूमि पर महाराज विक्रमादित्य के समय का एक मंदिर था जिसे मीर बाकी ने उध्वस्त कर दिया था
ड) इन में से सभी
उत्तर: ड) इन में से सभी
==========
प्रश्न: श्री देवकी नंदन अग्रवालजी कौन थे?
अ) अलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
ब) भगवान राम की तरफ से अभियोग दाखिल करने वाले वादी तथा वकील
क) विकल्प अ) और ब) दोनों
ड) कहना मुश्किल हैं
उत्तर: क) विकल्प अ) और ब) दोनों| भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने भले ही अपने सेवाकाल में धर्मनिरपेक्षता के नियम के चलते धर्म के लिए कुछ न किया हो पर ये भी हैं की सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन धर्म के लिए अर्पित कर दिया हो|
==========
प्रश्न: भगवान राम की तरफ से अभियोग दाखिल करने वाले वादी तथा वकील अलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री देवकी नंदन अग्रवालजी ने अपने अभियोग में क्या प्रार्थना की?
अ) विवादित रामजन्मभूमि की पूरी जमीन "श्री रामजन्मभूमि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम विराजमान" तथा "स्थान श्री रामजन्मभूमि अयोध्या" इन दोनों के नाम से की जाए
ब) विवादित जमीन पर बने सभी ढाचों को गिराकर भगवान श्री रामजी का नया मंदिर बनाया जाए
क) विकल्प अ) तथा ब) दोनो
ड) कहना मुश्किल हैं
उत्तर: क) विकल्प अ) तथा ब) दोनो| यह सही मायने में भगवान राम के लिए दाखिल किया गया अभियोग था इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, कलेक्टर, वरिष्ट पुलिस अधीक्षक समेत अखिल भारतीय हिन्दू महासभा, सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड, शिया केन्द्रीय वक्फ बोर्ड, अयोध्या में रहने वाले हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के लोग, श्री रामजन्मभूमि ट्रस्ट इन सब को प्रतिवादी बनाया गया था| इस अभियोग के माध्यम से भगवान राम ने स्वयं उक्त जमीन कर अपने स्वामित्व की तथा नए मंदिर निर्माण की मांग की|
==========
प्रश्न: क्या कोई हिन्दू देवता विधिय दृष्टिकोण से अभियोग दाखिल कर सकता हैं?
अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: अ) हा| हा क्यों की हिन्दू मत के अनुसार हिन्दू देवता अमर हैं| इसका एक उदहारण रामजन्मभूमि के लिए १९८९ में किया गया एक अभियोग हैं जिसने पुरे विवाद का रुख ही बदल दिया| हिन्दू देवता के अमरत्व के कारण हिन्दू देवताओ को न्यायिक व्यक्ति या juridical person माना जाता हैं| रामजन्मभूमि प्रकरण में स्वयं भगवान श्री राम विराजमान के नाम से एक अभियोग दाखिल किया गया था जिसमे भगवान राम ने पूरी रामजन्मभूमि के स्वामित्व का दावा किया था| बात तो सही हैं अगर विवादित जमीन राम जी के जन्म का स्थान हैं तो फिर उसके स्वामित्व का अधिकार राम जी के ही पास होना चाहिए|

==========

प्रश्न: क्या कोई हिन्दू पूजा स्थल विधिय दृष्टिकोण से अभियोग दाखिल कर सकता हैं?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: अ) हा| हिन्दू पूजा स्थल का पंजीकरण होता हैं इसीलिए पूजा स्थल एक न्यायिक व्यक्ति हैं| इसका एक उदहारण रामजन्मभूमि के लिए १९८९ में किया गया एक अभियोग हैं जिसने पुरे विवाद का रुख ही बदल दिया| हिन्दू पूजा स्थल के पंजीकरण के कारण हिन्दू पूजा स्थल को न्यायिक व्यक्ति माना गया हैं| रामजन्मभूमि प्रकरण में स्वयं स्थान श्री रामजन्मभूमि अयोध्या के नाम से एक अभियोग दाखिल किया गया था जिसमे भगवान राम भी स्वयं वादी थे और रामजी ने पूरी रामजन्मभूमि के स्वामित्व का दावा किया था|

==========

प्रश्न: अयोध्या निर्णय का प्रारंभ फैजाबाद जिला न्यायालय के सामने दाखिल किये कई चार अभियोगों से हुआ हैं| उक्त अभियोगों में किस प्रावधान के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने सभी साक्ष्य के कथन अभिलिखित किये?

अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ आर्डर १० नियम २

ब) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ आर्डर १० नियम ३

क) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ आर्डर १२ नियम २

ड) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ आर्डर १० नियम ३

उत्तर: अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ आर्डर १० नियम २

==========

प्रश्न: सन १८५८ में बाबरी मस्जिद में क्या हुआ?

अ) महंत रघुबर दासजी ने बाबरी मस्जिद के पास स्थित राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण किया था

ब) निहंग सिंह फ़क़ीर खालसा इस सिख व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद के अन्दर गुरु गोविन्द सिंह जी का हवन पूजन किया

क) निहंग सिंह फ़क़ीर खालसा इस सिख व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद के अन्दर श्री भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया

ड) विकल्प ब) और क) दोनों

उत्तर: ड) विकल्प ब) और क) दोनों| भिन्दरवाले के पहले सिख खालसा पंथ और हिन्दुओ में आपसी बंधुभाव था| आज भी कई सिख हिन्दुओ को अपना मानते हैं और अपने आप को सनातन से जोड़ते हैं| ये खालसा पंथ के निहंग सिंह फ़क़ीर खालसाजी ने बाबरी मस्जिद के अन्दर श्री गुरु गोविन्द सिंह जी का हवन पूजन किया और उसके बाद बाबरी मस्जिद के अन्दर श्री भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया| इसका अर्थ यही हैं की निहंग खालसा पंथ श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के साथ साथ श्री रामजी – जो एक हिन्दू देवता हैं – उनमे भी आस्था रखते थे| गुरु शिष्य परम्परा का मूल सनातन संस्कृति में ही हैं और हवन पूजन हिन्दू तथा सिखों में समान रूप से होता आया हैं| लेकिन फिर भी कुछ अलगाववादी लोग सिखों को सनातन से दूर करने का ही काम करते आये हैं| ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए| और ये बात १८५६-५७ में हुए हिन्दू मुस्लिम दंगो के बाद न्यायलय में प्रस्तुत किये गए थानेदार के रिपोर्ट में लिखी बात हैं|

==========

प्रश्न: सन १८५८ के समय निहंग सिंह फ़क़ीर खालसा इस सिख व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद के अन्दर दीवारों पर क्या लिखा था?

अ) राम राम

ब) वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फ़तेह

क) हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे

ड) श्री राम जय राम जय जय राम

उत्तर: अ) राम राम| निहंग सिंह फ़क़ीर खालसा इस सिख व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद के अन्दर दीवारों पर कोयले से "राम राम" लिखा, दिए लगाये, फिर हवन कुंड बनाकर उसमे श्री गुरु गोविन्द सिहं जी के नाम का हवन किया और उसके बाद मस्जिद में ही एक गज उचा चबूतरा बना कर वहा श्री भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया| ये हवं पूजन होते समय २५ सिख तलवारबाज हवन की रक्षा हेतु तैनात थे| और ये सब बाबरी मस्जिद के मौज्जिम सएद मो. खतीब की दी हुई अर्जी के अनुसार हैं| इस हवन के बाद निहंग सिंह फ़क़ीर खालसाजी बाबरी मस्जिद में ही रहने लगे और फिर जब भी मौज्जिम अज़ान देता निहंग सिंह फ़क़ीर खालसाजी शंखनाद करते|

==========

प्रश्न: बाबरी मस्जिद के मौज्जिम सएद मो. खतीब ने अपनी अर्जी के अनुसार क्या हिन्दू १८५६-५७ के पहले बाबरी मस्जिद के अन्दर रखी प्रतिमाओ की पूजा करते थे?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: अ) हा| १८५६-५७ में हुए हिन्दू मुस्लिम दंगो का कारण यही था की मुस्लिम पक्ष हिन्दू रामभक्तों को बाबरी मस्जिद के अन्दर रखी श्रीरामजी की प्रतिमाओं का पूजन नहीं करने देना चाहते थे| बाबरी मस्जिद के मौज्जिम सएद मो. खतीब अनुसार सदियों से हिन्दू बाबरी मस्जिद के अन्दर आकर प्रतिमाओ की पूजा करते थे| और बाबरी मस्जिद के मौज्जिम सएद मो. खतीब की दी हुई अर्जी के अनुसार उक्त स्थान का नाम "जन्म स्थान मस्जिद, औंध" ऐसा लिखा गया हैं| १८५६-५७ में हुए दंगो के बाद ब्रिटिश सरकार ने मस्जिद को सुरक्षित करते हुए ईटों-जाली से बनी दीवार बना दी| उसके बाद मस्जिद के अन्दर हिन्दुओ का प्रवेश वर्जित हो गया| उसके बाद सन १८५८ में दी. ३० नवम्बर १८५८ के दिन निहंग सिंह फ़क़ीर खालसाजी ने विवादित मस्जिद के अन्दर हवन पूजन किया और तब से वही रहने लगे|
==========
प्रश्न: १८८२ में मो. अश्घर ने निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दासजी से किराया लेने के लिए उप-न्यायाधीश फैजाबाद के समक्ष अभियोग क्यों दाखिल किया था?
अ) रामजन्मभूमि स्थान महंत रघुबर दासजी रह रहे थे इसके लिए
ब) बाबरी मस्जिद के दरवाजे के पास के राम चबूतरे औत तख़्त का उपयोग रामनवमी के उपलक्ष में आयोजित मेले के लिए
क) मो. अश्घर के हिसाब से पूरी जमीन बाबरी मस्जिद के स्वामित्व की थी और वहा हो रही सीता रसोई की पूजा के लिए
ड) ऐसा कोई अभियोग नहीं दाखिल हुआ
उत्तर: ब) बाबरी मस्जिद के दरवाजे के पास के राम चबूतरे औत तख़्त का उपयोग रामनवमी के उपलक्ष में आयोजित मेले के लिए
==========
प्रश्न: राम चबूतरे पर चरण पादुकाये तथा लकड़ी के मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान एवम शालिग्राम शिला की स्थापना किसने की?
अ) महंत जगत दासजी
ब) महंत रघुबर दासजी
क) परमहंस रामचंद्र दासजी
ड) किसी ने भी नहीं
उत्तर: ब) महंत रघुबर दासजी| सन १८८५ में महंत रघुबर दासजी ने ३५७ वर्ग फीट के राम चबूतरे पर मंदिर बनाने के लिए अभियोग दाखिल किया जिसे हर बार ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने बरखास्त कर दिया था| इस राम चबूतरे पर फिर महंत रघुबर दासजी ने चरण पादुकाये तथा लकड़ी के अस्थायी मंदिर नुमा ढाचे में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान एवम शालिग्राम शिला की स्थापना की और हिन्दू समुदाय इस जगह पर ही फिर पूजन और दर्शन करने लगा|
==========
प्रश्न: निर्मोही अखाड़े के पंचो ने निर्मोही अखाड़े की परम्पराओ से सम्बंधित विलेख कब लिखा था?
अ) १९ मार्च १९४९
ब) २२ दिसंबर १९४९
क) २३ दिसंबर १९४९
ड) २९ नवम्बर १९४९
उत्तर: अ) १९ मार्च १९४९| इस विलेख के अनुसार "अयोध्या नगरी के मोहल्ला राम घाट में रामजन्मभूमि मंदिर हैं तथा उस मंदिर का प्रबंधन निर्मोही अखाड़े के महंत का उत्तरदायित्व हैं| रामजन्मभूमि होने के कारण यह अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं|"
==========
प्रश्न: डॉ राजीव धवन कौन थे?
अ) रामजन्मभूमि विवाद में निर्मोही अखाड़े के वकील
ब) रामजन्मभूमि विवाद में केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील
क) रामजन्मभूमि विवाद में गोपाल सिंह विशारादजी के वकील
ड) एक आम डाक्टर थे जिनके पास हिन्दू मुस्लिम दोनों जाते थे?
उत्तर: ब) रामजन्मभूमि विवाद में केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील| डॉ राजीव धवन के अनुसार सरकार को पहले से बाबरी मस्जिद में हिन्दू लोग मुर्तिया रखनेवाले हैं ये पता था, हिन्दू समुदाय के लोग बाबरी मस्जिद में आने वाले मुस्लिम लोगों को परेशान करते थे, इसीलिए मुस्लिम डरे हुए थे, और इन सब की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कारवाही नहीं की हिन्दुओ को मस्जिद में मुर्तिया स्थापित करने से रोकने के लिए|
आगे डॉ राजीव धवन ने ये भी दलील दी थी की फैजाबाद पुलिस अधीक्षक कृपाल सिंह ने दी. २९ नवंबर १९४९ को फैजाबाद सहायक आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट के के नायर के समक्ष प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ये कहा था की "बाबरी मस्जिद के चारो तरफ कई हवनकुंड बनाये गए हैं| पूरनमाशी के दिन एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया हैं जिसमे हजारो हिन्दू, सन्यासी, साधु, बैरागी बाहर गाव से भी आने वाले हैं| इस वजह से मुस्लिमों का बाबरी मस्जिद में प्रवेश कठिन हो जायेगा और मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद छोड़नी पड़ेगी|"
आगे डॉ राजीव धवन ने ये भी दलील दी थी की दी. १० दिसंबर १९४९ को मो. इब्राहीम, वक्फ निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था की "हिन्दू और सिखों के डर से मुस्लिम बाबरी मस्जिद में आकर नमाज निशा नहीं कर पा रहे हैं| हिन्दू मस्जिद में आनेवाले तथा रुकनेवाले मुस्लिमों को डराते धमकाते हैं| स्थानिक मुस्लिम लोगों के अनुसार हिदुओ से मस्जिद को खतरा हैं| मस्जिद शाही स्मारक हैं इसीलिए इसका जतन होना जरुरी हैं|"
==========
प्रश्न: सन १९४९ के फ़ैजाबाद उप आयुक्त के के नायर के रिपोर्ट के अनुसार रामजन्मभूमि पर १९४९ में क्या हो रहा था?

अ) विवादित बाबरी ढाचे के आसपास की कब्रे रामानंदी बैरागी नष्ट करने का आरोप मुस्लिम पक्ष ने लगाया हैं, जो केवल हिन्दुओ को रामजन्मभूमि पर उनके अधिकार से विमुक्त करने के लिए लगाया गया आरोप हैं|
ब) जब हजारो हिन्दू नौ दिन तक रामायण पाठ कर रहे थे तब शुक्रवार के दिन डरे हुए मुस्लिमों को सुरक्षित मस्जिद तक पुलिस खुद लेकर गयी और नमाज अदा करने के बाद वहा से लेकर भी आई|
क) अनिसुर रहमान नामक व्यक्ति बार बार बाबरी मस्जिद को धोखा हैं ऐसे उन्मत्त सन्देश देकर मुस्लिम समुदाय को भड़का रहा हैं|
ड) इन में से सभी
उत्तर: ड) इन में से सभी| फ़ैजाबाद उप आयुक्त के के नायर ने ये रिपोर्ट गोविन्द नारायण, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की थी| इस रिपोर्ट में के के नायर जी ने ये भी कहा था की “विक्रमादित्य के समय में इस जगह पर एक भव्य मंदिर बनाया गया था| बाबर ने उसकी मंदिर को तोड़कर वहा बाबरी मस्जिद बनायी| मंदिर के भग्न अवशेष का उपयोग करके ही मस्जिद बनायी गई थी|” ये वही महान सरकारी अफसर हैं जिन्होंने बाद में विवादित बाबरी मस्जिद में स्थापित मूर्तियों को राज्य सरकार के आदेश पर भी नहीं हटाया और ये कहा, “अगर स्थापित मुर्तिया हटानी हैं तो मेरी जगह दुसरे अफसर को नियुक्त किया जाए|” ऐसे अफसर अगर आज देश में हो तो देश सही मायने में अपने आप धार्मिक बन जायेगा|
==========
प्रश्न: जब २२ दिसंबर १९४९ की रात बाबरी मस्जिद में रामजी समेत अन्य मूर्तियों की स्थापना की गयी थी तब मुस्लिम पक्ष ने किन प्रावधानों के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करायी?
अ) भारतीय दंड संहिता, धारा १४७
ब) भारतीय दंड संहिता, धारा २९५
क) भारतीय दंड संहिता, धारा ४४८
ड) उपरोक्त सभी
उत्तर: ड) उपरोक्त सभी
==========
प्रश्न: २३ दिसंबर १९४९ की सुबह भारतीय दंड संहिता, धारा १४७, २९५, ४४८ के तहत प्राथमिकी (FIR) क्यों दर्ज करायी गयी थी?
अ) ५०-६० हिन्दुओ ने मिलकर विवादित बाबरी मस्जिद के ताले तोड़कर उसमे रामजी समेत अन्य देवताओ की मुर्तिया स्थापित कर दी थी|
ब) ५०-६० हिन्दुओ ने मिलकर विवादित बाबरी मस्जिद की दीवारों पर हिन्दू देवी देवताओ के नाम लिख दिए थे|
क) ५००० से ज्यादा हिन्दु मिलकर विवादित बाबरी मस्जिद के बाहर जमा होकर कीर्तन कर रहे थे|
ड) उपरोक्त में से अ) और ब)
उत्तर: अ) ५०-६० हिन्दुओ ने मिलकर विवादित बाबरी मस्जिद के ताले तोड़कर उसमे रामजी समेत अन्य देवताओ की मुर्तिया स्थापित कर दी थी| ये बात सच हैं की विवादित बाबरी मस्जिद में रामजी की मूर्ति स्थापित होने के बाद, वहा पर ५००० से ज्यादा हिन्दू लोग एकसाथ जमा होकर कीर्तन कर रहे थे परन्तु ये सब रामजी तथा अन्य देवताओ की मूर्तियों की स्थापना के बाद ही हुआ| मूर्तियों के स्थापना के बाद विवादित बाबरी मस्जिद की दीवारों पर हिन्दू देवी देवताओ के नाम लिखे गए थे| अयोध्या के हिन्दू उसदिन एक होकर कीर्तन कर रहे थे| उस कीर्तन में कोई जातिवाद नहीं था या कोई उच-नीच नहीं थी| इस बढती हिन्दू एकता को खत्म करने के लिए ही जातिवाद को बढ़ावा देने वाली फिल्मे बनायीं गयी, किताबे लिखी गयी और ऐसे रचनात्मक कार्यो को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पुरस्कृत भी किया था| और ये तब से अबतक चल रहा हैं|
==========
प्रश्न: फ़ैजाबाद-अयोध्या के अपर नगर मजिस्ट्रेट ने २९ दिसम्बर १९४९ को फ़ैजाबाद-अयोध्या नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष प्रिय दत्त रामजी को प्राप्तकर्ता तथा प्रबंधन के लिए नियुक्त करने के बाद किस दिन प्रिय दत्त रामजी ने विवादित बाबरी मस्जिद का निरिक्षण कर वस्तुसूची बनायीं?
अ) २९ दिसंबर १९४९
ब) ५ जनवरी १९५०
क) १६ दिसंबर १९४९
ड) २५ जनवरी १९५१
उत्तर: ब) ५ जनवरी १९५०| फ़ैजाबाद-अयोध्या के अपर नगर मजिस्ट्रेट ने २९ दिसम्बर १९४९ को फ़ैजाबाद-अयोध्या नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष प्रिय दत्त रामजी को प्राप्तकर्ता तथा प्रबंधन के लिए नियुक्त करने के बाद सबसे पहले प्रिय दत्त रामजी ने विवादित बाबरी मस्जिद का निरिक्षण कर वस्तुसूची बनायीं| उस वस्तुसूची के अनुसार विवादित ढाचे में ठाकुरजी की एक मूर्ती, रामजी की एक बड़ी और एक छोटी मूर्ति, छह शालिग्राम शिलाए, दो फीट उचाई का चांदी का सिंहासन, हनुमानजी की एक मूर्ति, जर्मन सिल्वर का एक गिलास, चांदी की छोटी गिलास, चांदी की बड़ी गिलास, एक गरुण घंटी, एक धूपदानी, एक आरती की थाली, एक दिए का स्टैंड, हसरा और एक जोड़ी पादुकाये, चार फुलदनियाँ, बदरीनाथजी की छोटी तस्वीर, रामचंद्रजी की छोटी तस्वीर, भगवान के गहने, रामलला की दो पगड़ियाँ, हनुमानजी की एक पगड़ी, रामलला के आठ जोड़ी वस्त्र, पीतल की छोटी गिलास, फूल का कटोरा, पञ्च पास, पीतल की थाली, पीतल की छोटी थाली, लकड़ी का एक तक्ता इत्यादि वस्तुओ की सूचि बनायी थी|
==========
प्रश्न: विवादित बाबरी ढांचे से जुड़े केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने प्रस्तुत किये हुए शिलालेखों की प्रमाणिकता पर किसने प्रश्न: उठाया?
अ) श्री श्री रविशंकरजी
ब) अधिवक्ता पी. एन. मिश्रा
क) जगद्गुरु रामभद्राचार्य स्वामी राम भाद्रचार्यजी
ड) अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन

उत्तर: ब) अधिवक्ता पी. एन. मिश्रा| रामजन्मभूमि अभियोग में अखिल भारतीय श्री रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के अधिवक्ता थे श्री पी. एन. मिश्राजी| विवादित बाबरी ढांचे से जुड़े केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तिन शिलालेख प्रस्तुत किये थे जिनके अनुसार “उक्त जगह पर लगभग १५२८ के आसपास बाबर के कहने पर मस्जिद को बाँधा गया, और उस मस्जिद का उपयोग मुस्लिम नमाज अदा करने तथा मजहबी समारोह मनाने के लिए करते थे| जबसे मस्जिद बनी हैं तब से उक्त मस्जिद में नमाज अदा की जा रही हैं|” इन बातों का खंडन करते हुए अधिवक्ता पी. एन. मिश्रा ने प्रस्तुत शिलालेखों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाया और यह संशय जताया की १५२८ में बाबर के आक्रमण के बाद जब वो युध्द जित गया तब उसने ये मस्जिद बनाई भी या नहीं|

==========

प्रश्न: फुहरेर ने बाबरी मस्जिद के बनावट के लिए क्या कहा?

अ) बाबरी मस्जिद के पहले जन्मस्थान पर पुराना राम मंदिर था और उसे मजबूत कसौटी शिलाओ से बनाया गया था|

ब) कसौटी शिलाओ के स्तम्भ मजबूत थे और उनपर कई यंत्रो का उपयोग कर नक्काशी की गयी होगी|

क) पुराने राम मंदिर के कसौटी स्तम्भ का उपयोग मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए किया था|

ड) उपरोक्त सभी|

उत्तर: ड) उपरोक्त सभी| अलोइस अन्तोन फुहरेर एक जर्मन भारतविद था जिसने अंग्रजो के ज़माने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए काम किया था| फुहरेर के अनुसार बाबरी मस्जिद १५२५ के आस पास निर्मित हैं| पर उसके पहले जन्मस्थान पर राम मंदिर था जो मजबूत काले रंग की कसौटी शिलाओ से बना था| ये शिलाए इतनी मजबूत थी की मुसलमान इन शिलाओ को तोड़ नहीं सके और फिर उन्हीका उपयोग कर बाबरी मस्जिद बना दी गयी| फुहरेर के हिसाब से हर कसौटी स्तम्भ का आधार समचतुर्भुज हैं और ये बिच में गोलाकार और अष्टभुज आकार में काटे गए हैं| पुरे स्तम्भ की रचना करने के लिए तथा उसपर नक्काशी करने के लिए कई यंत्रो का उपयोग किया गया हैं| मतलब यूरोप के जर्मनी से आया एक पुरातत्व विशेषज्ञ भी ये लिख कर गया था की भारत में वास्तुकला अपने अलग ही स्तर पर थी|

==========

प्रश्न: बाबर ने इब्राहीम लोधी को कहा और कब हराया था?

अ) फ़ैजाबाद दी. १५.०९.१५२८

ब) अयोध्या दी. २.०४.१५२८

क) घाघरा-सरयू संगम दी. २८.०३.१५२८

ड) पानीपत दी. २०.०४.१५२६

उत्तर: ड) पानीपत दी. २०.०४.१५२६

==========

प्रश्न: बाकि मस्जिदों और बाबरी मस्जिद में क्या अंतर हैं?

अ) बाबरी मस्जिद बाबर ने बनायीं और बाकि मस्जिदे किसी और ने

ब) बाबरी मस्जिद में वजू के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी

क) बाबरी मस्जिद मीर बाकि ने बनायीं

ड) कोई फर्क नहीं हैं

उत्तर: ब) बाबरी मस्जिद में वजू के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी| बाबरी मस्जिद जिस जगह बनायी गयी उस जगह महाराज विक्रमादित्य के समय से कसौटी शिलाओ से बना एक राम मंदिर था और उस जगह को राम जन्म स्थान कहा गया है और ये बात बार बार कई इतिहासकारों तथा पुरातत्ववेत्ताओं ने अपने शोध पुस्तको में लिखा हैं| उपरोक्त जमीन पर बाबरी मस्जिद का निर्माण रोकने के लिए कई युद्ध हुए| १८५५ में आखरी लड़ाई हुई, उसके बाद १८५६-५७ में हिन्दू मुस्लिम दंगो के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने बाबरी मस्जिद को सुरक्षित करने के लिए ईटों-जाली की दीवार बना दी| बार बार होने वाली लड़ाईयों के कारण उपरोक्त मस्जिद में वजू के लिए पानी की व्यवस्था कभी नहीं हुई| हिन्दू एकजुट होकर इस मस्जिद का निर्माण होने से रोकने के लिए हमेशा तैयार रहते थे| मस्जिद छोटी हो या बड़ी, उसमे वजू के लिए पानी भरके रखने का नियम इस्लामिक कानून के हिसाब से हैं| बिना वजू किये नमाज अदा नहीं होती|

==========

प्रश्न: क्या बाबरी मस्जिद का मेहराब जैसा होना चाहिए वैसा था?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: ब) नहीं| जैसे बाकी मस्जिदों में मेहराब होता हैं उस तरह से बाबरी मस्जिद में मेहराब बनाया ही नहीं| मेहराब किबले की दीवार में बनाया गया अर्धवर्तुलाकार आकार होता हैं जिसकी तरफ मुह करके लोग नमाज अदा करते हैं|

==========

प्रश्न: क्या बाबरी मस्जिद में अजान देने के लिए मीनार थे?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: ब) नहीं| बाबरी मस्जिद में गुम्बद थे पर एक भी मीनार नहीं था| इस्लामिक किताबों के अनुसार हर मस्जिद में अजान देने के लिए मीनार का होना जरुरी हैं|

==========

प्रश्न: क्या बाबरी मस्जिद ऐसी जगह बनायीं गयी थी जहा दुसरे धर्मो के प्रार्थनास्थल थे?
अ) हा
ब) नहीं
उत्तर: अ) हा| हा बाबरी मस्जिद ऐसी जगह बनायीं गयी थी जिसके चारों तरफ हिन्दू मंदिर थे, जहा हिन्दू धार्मिक लोग पूजा आरती करते थे, घंटी बजाते थे और शंखनाद करते थे, ऐसी जगह पर इस्लामिक कानून के अनुसार मस्जिद नहीं बन सकती|
==========
प्रश्न: मस्जिद में नमाज अदा करते समय क्या रहने से मस्जिद का इमाम गुनाहगार हो जाता हैं?
अ) प्राणी और पंछियों की तस्वीरे या मुर्तिया
ब) इंसानों की मुर्तिया
क) किसी भी तरह से किसी स्त्री को दर्शाने वाली तस्वीरे और मुर्तिया
ड) उपरोक्त सभी
उत्तर: ड) उपरोक्त सभी| इस्लामिक कानून के हिसाब से अगर किसी मस्जिद में प्राणी, पंछी, इनसान या महिला की मुर्तिया, प्रतिमा या तस्वीर हो तो उपरोक्त जगह पर नमाज अदा करने के पहले इमाम को इन सब चीजो को हटाना पड़ेगा| अगर किसी भी वजह ऐसी चीजे नमाज अदा करने के पहले हटाई नहीं गयी तो उस मस्जिद का इमाम इस्लाम का गुनाहगार हो जाता हैं| और अगर ऐसी कोई भी चीज मस्जिद में मौजूद होती हैं और कोई नमाज अदा करता हैं तो ऐसी नमाज मकरूह हो जाती हैं जिसे अल्लाह कबुल नहीं करते|
==========
प्रश्न: अयोध्या निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी धर्म का आचरण किस कारक से प्रभावित होता हैं?
अ) सांस्कृतिक विविधता
ब) सांस्कृतिक एकता
क) सास्कृतिक आत्मसात्करण
ड) लोगों को मनमानी व्यवहार
उत्तर: क) सास्कृतिक आत्मसात्करण|
==========
प्रश्न: पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१ कब से लागु हुआ?
अ) १८ सितम्बर १९९१
ब) १७ दिसंबर १९९१
क) ११ जुलाई १९९१
ड) ५ मई १९९१
उत्तर: क) ११ जुलाई १९९१| पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१ की धारा ३, ६, और ८ के अलावा बाकि पूरा अधिनियम दी. ११ जुलाई १९९१ को ही लागू हो गया था| धारा ३, ६, और ८ के प्रावधान दी. १८ सितम्बर १९९१ से लागु किये गए थे|
==========
प्रश्न: पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१ का उद्देश्य क्या हैं?
अ) हिन्दू पूजास्थलों को शासकीय नियंत्रण में लेना
ब) मुस्लिम पूजास्थलों का विकास करना
क) पूजास्थलों के मूल रूप को परिवर्तित करने से रोकना
ड) इसाई पूजास्थलों का विकास करना
उत्तर: क) पूजास्थलों के मूल रूप को परिवर्तित करने से रोकना| १५ अगस्त १९४७ के दिन जिस पूजास्थल का जो भी धार्मिक स्वरुप था उसे उसी स्थिति में रखना, उसका किसी भी तरह से अन्य धार्मिक मान्यताओ के अनुसार बदलाव होने से रोकना तथा उक्त पूजास्थलों का रखरखाव तथा संरक्षण करना ये इस पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१ के मुख्य उद्देश्य थे|
==========
प्रश्न: पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१ के किस प्रावधान में "पूजास्थल" की व्याख्या दी गयी हैं?
अ) धारा २(अ)
ब) धारा २(ब)
क) धारा २(क)
ड) धारा २(ड)
उत्तर: ब) धारा २(ब)| पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१ की धारा २(ब) के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ, या कोई भी ऐसी जगह जहा लोग एकत्रित होकर एकसाथ अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूजा करते हैं उसे "पुजस्थल कहा गया हैं|
==========
प्रश्न: क्या पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१ में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को छुट दी गयी थी?
अ) हा
ब) नहीं

उत्तर: अ) हा| पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१ की धारा ५ के अनुसार, उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान का रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में अनुप्रयोग नहीं किया जायेगा|

==========

प्रश्न: भारत की विधि व्यवस्था के अनुसार क्या हिन्दू देवतओं की मुर्तिया न्यायिक व्यक्ति या juridical person हैं?

अ) हाँ

ब) नहीं

उत्तर: अ) हाँ| जी हा, हिन्दू मान्यताओं के अनुसार कोई भी मूर्ति तब तक नहीं पूजी जाती जबतक उसमे प्राण प्रतिष्ठा न हो| इसीलिए वे जीवित होती हैं| हर मंदिर में रखी मूर्तियों का पंजीकरण तथा मंदिर निर्माण के पहले जो अनुमति ली जाती हैं उसके लिए भी पंजीकरण होता हैं| इसीलिए हिन्दू मंदिर तथा हिन्दू प्राणप्रतिष्ठित देवी देवताओं की मुर्तिया भारतीय न्याय-व्यवस्था की दृष्टि में न्यायिक व्यक्ति हैं| इसीलिए इन्हें किसी भी अभियोग में वादी अथवा प्रतिवादी बनाया जा सकता हैं| रामजन्मभूमि के लिए स्वयं "श्री रामजन्मभूमि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम विराजमान" तथा "स्थान श्री रामजन्मभूमि अयोध्या" को वादी बनाकर फ़ैज़ाबाद जिला दीवानी न्यायालय में अभियोग १ जुलाई १९८९ के दिन दाखिल किया गया था|

==========

प्रश्न: न्यायव्यवस्था उसे ही न्यायिक व्यक्ति मानती हैं जिसके पास _______________ है?

अ) माँ, बंगला, गाडी

ब) पिता, पत्नी, बेटी

क) अधिकार, दायित्व, कर्त्तव्य

ड) सेवा, भक्ति, पुण्य

उत्तर: क) अधिकार, दायित्व, कर्त्तव्य| जिसके पास अधिकार, दायित्व, कर्त्तव्य हैं उस व्यक्ति, संस्था, या कोई भी निर्जीव वस्तु को न्यायव्यवस्था न्यायिक व्यक्ति मानती हैं तथा न्यायिक व्यक्ति के पास अभियोग दाखिल करने का अधिकार होता हैं|

==========

प्रश्न: एक न्यायिक व्यक्ति होने के लिए क्या चाहिए?

अ) कुछ न्यायिक अधिकार

ब) कुछ न्यायिक दायित्व

क) अन्य न्यायिक व्यक्तियों के साथ न्यायिक सम्बन्ध बनाने का अधिकार

ड) उपरोक्त सभी

उत्तर: ड) उपरोक्त सभी| जब भी किसी मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा होती हैं और मंदिर बनाया जाता हैं तब हिन्दू भक्त उस मंदिर में चढ़ावा चढाते हैं| वो चढ़ावा पुजारी के लिए नहीं अपितु भगवान के लिए होता हैं| मंदिर जिस जमीन पर बनाया जाता हैं वह जमीन भी किसी भक्त ने दान में ही दी रहती हैं और भगवान के लिए दिया कोई भी दान अक्षय निधि (endowment) के रूप में पंजीकृत होता हैं भगवान के ही नाम से| जैसे ही अक्षय निधि का पंजीकरण स्थापित भगवान की मूर्ति के नाम से होता हैं, भगवान की मूर्ति के पास न्यायिक अधिकार आता हैं की वे चल अचल संपत्ति का चढ़ावा स्वीकार करे| अक्षय निधि का पंजीकरण भगवान की मूर्ति तथा मंदिर का प्रबंधन करने वाले जो भी लोग हैं उनके हाथो होने वाले कुप्रबंधन को भी रोकता हैं| और ये अक्षय निधि का पंजीकरण ईसापूर्व कई सदियों से हिन्दू विधिशास्त्र के अनुसार होता आया हैं| इसका अर्थ यह भी हैं की जब महाराज विक्रमादित्य के समय में रामजन्मभूमि मंदिर निर्मित हुआ था तब भी इस मंदिर का पंजीकरण महाराज विक्रमादित्य के न्यायाविधान के अनुसार हुआ ही होगा| इसीलिए भगवान श्री राम विराजमान को भारतीय विधिशास्त्र में एक न्यायिक व्यक्ति का स्थान दिया गया है|

==========

प्रश्न: रामसखा श्री देवकीनन्दन अग्रवालजी ने किसकी यात्रा दिनिकियो के आधार पर कहा की रामजन्मभूमि अयोध्या में स्थित विवादित बाबरी मस्जिद की जगह हिन्दू सदियों से श्रीरामजी की पूजा करते आये हैं?

अ) जोसफ टाईफ्फेन्थालेर की यात्रा दैनिकी से

ब) रोबर्ट मोंट्गोमेरी मार्टिन की यात्रा दैनिकी से

क) उपरोक्त अ) और ब) दोनों

ड) किसी भी विदेशी यात्री की यात्रा दैनिकी में इस विषय में कुछ नहीं लिखा हैं

उत्तर: क) उपरोक्त अ) और ब) दोनों| जोसफ टाईफ्फेन्थालेर अठारहवी सदी में भारत घुमने आया था और रोबर्ट मोंट्गोमेरी मार्टिन उन्नीसवी सदी के प्रारंभ में भारतभ्रमण हेतु भारत आया था| दोनों की यात्रा दैनिकियों में इस बात का उल्लेख हैं की हिन्दू विवादित ढाचे के तिन गुम्बदों के निचे श्रीराम का पूजन करते थे| राम नवमी के दिन उक्त स्थान पर कई रामभक्त रामनवमी उत्सव को मनाने आते थे| हिन्दुओ के साथ खालसा पंथ के निहंग भी श्रीराम की पूजा के लिए अयोध्या आते थे|

===========

प्रश्न: क्या हिन्दू रामजन्मभूमि की पूजा करते हैं?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: अ) हा| हा हिन्दू रामजन्मभूमि की एक देवी तरह पूजा करते हैं| धरती के किसी टुकड़े का देवता होना, या किसी धरती के टुकड़े का किसी देवता का निवासस्थान होना, या किसी धरती के टुकडे का किसी देवता की संपत्ति होना ये तीनो अलग अलग बातें हैं| रामजन्मभूमि का पूजन सदियों से एक देवी की तरह किया जा रहा हैं| हिन्दू मान्यताओ में धरती भी पूजनीय हैं और धरती को एक देवी की तरह पूजा जाता हैं|

===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि अभियोग में किसे स्वयंभू देवता कहा गया?
अ) स्थान श्री राम जन्मभूमिजी
ब) भगवान श्री राम विराजमानजी
क) श्री शालिग्रमजी
ड) श्री सीता रसोई
उत्तर: अ) स्थान श्री राम जन्मभूमिजी| हिन्दू मान्यताओं के अनुसार "स्वयंभू" का अर्थ होता हैं "जो स्वयं उत्पन्न हुआ हैं" या यु कहे जो स्वयं स्थापित हुआ हैं| स्वयंभू देवता की प्राणप्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती| स्वयम्भू देवता की मूर्ति, प्रतिमा अथवा चिन्ह मनुष्य अपने हाथ से नहीं बनाते ये अपने आप बन जाते हैं| स्थान श्री राम जन्मभूमिजी स्वयम्भू देवी हैं| स्थान श्री राम जन्मभूमिजी की परिक्रमा की जाती हैं| भगवान श्री राम विराजमान जी स्वयम्भू नहीं हैं क्यों की उनकी मुर्तिया मानवनिर्मित हैं| पर स्थान श्री राम जन्मभूमिजी स्वयंभू हैं क्यों की ये अपने आप बनी हैं जब रामलला का जन्म नहीं हुआ था तब भी ये भूमि यही पर थी| रामलला का जन्म होने के पूर्व ही ये भूमि अपने आप पवित्र हो गयी थी तभी रामलला इस स्थान पर जन्म ले सके| मनुष्य ने चाहे भूमि पर भवन बनाया हो या कारागृह बनाया हो या मंदिर बनाया हो पर ईश्वर उसी भूमिपर जन्म लेते हैं जो पवित्र होती हैं| जैसे भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ वैसे भगवान कृष्ण का जन्म किसी महल में न होते हुए कारागृह हुआ, इसका कारण यह भी हैं की वह स्थान पवित्र थे| और जो स्थान परमपवित्र हो जाता हैं वो अपने आप पूजनीय हो जाता हैं| इसीलिए रामजन्मभूमि स्वयंभू देवी हैं और पूजनीय हैं|
===========
प्रश्न: सनातन मान्यताओं के अनुसार भूमि के किस टुकड़े को पूजास्थल माना जाता हैं?
अ) जिस भूमि पर ईश्वर ने जन्म लिया हैं
ब) जिस भूमि पर देवी और देवता के स्त्री और पुरुष अवतारों का विवाह हुआ हैं
क) जिस भूमि पर ईश्वरीय अवतार ने अपना देहत्याग किया हैं
ड) उपरोक्त सभी
उत्तर: ड) उपरोक्त सभी|
===========
प्रश्न: क्या सर्वोच्च न्यायालय ने स्थान श्री राम जन्मभूमिजी को न्यायिक व्यक्ति के रूप में स्वीकृति दी?
अ) हा
ब) नहीं
उत्तर:" ब) नहीं| तमाम दलीलों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्थान श्री राम जन्मभूमिजी को न्यायिक व्यक्ति के रूप में स्वीकृति नहीं दी|
===========
प्रश्न: १९३४ के हिन्दू मुस्लिम दंगो के बाद क्या बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी?
अ) नहीं एक भी बार नहीं
ब) हा हर रोज पाच बार
क) हा हर रोज दोपहर के समय
ड) हा सिर्फ शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज
उत्तर:: ड) हा सिर्फ शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज| १९३४ में अयोध्या में हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए थे उसके बाद मुस्लिम समुदाय ने विवादित बाबरी ढाचे में जाना कम कर दिया था| केवल शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज १९३४ से लेकर दी. १६ दिसंबर १९४९ तक अदा की गयी| दी. १६ दिसंबर १९४९ के दिन आखरी जुम्मे की नमाज अदा की गयी थी| इस के लिए ८ से १६ फरवरी १९५० के बिच कम से कम १४ मुस्लिम व्यक्तियों ने खुद सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर १९ रूल १ के तहत सत्यापन दिए थे| उक्त सत्यापन में ये भी बताया गया था की "मंदिर का विध्वंस कर बाबरी मस्जिद बनायीं गयी हैं| भले ही मस्जिद बना दी गयी थी लेकिन फिर भी हिन्दू समुदाय ने वहा नियमित पूजा करना जारी रखा था| उस जगह हिन्दू पूजा करते थे और मुस्लिम नमाज अदा करते थे| पर जहा अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा की जाती हैं ऐसी जगह पर नमाज अदा करना शरियत के हिसाब से गलत हैं इसीलिए विवादित स्थान का स्वामित्व हिन्दू समुदाय को देना चाहिए|"
===========
प्रश्न: सन १८५८ के न्यायालयीन निर्णय के अनुसार बाबरी मस्जिद को क्या कहा जाता था?
अ) बाबरी मस्जिद
ब) जन्म स्थान मस्जिद
क) मस्जिद जन्म स्थान
ड) उपरोक्त में से ब) और क)
उत्तर: ड) उपरोक्त में से ब) और क)| १८५६-५७ में विवादित स्थान तथा हनुमानगढ़ी के लिए हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए थे| उसके बाद १८५८ में निहंग सिंह फ़क़ीर खालसा इस सिख व्यक्ति ने मस्जिद के अन्दर गुरु गोविन्द सिंह जी का हवन पूजन किया तथा मस्जिद के अन्दर श्री भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया| इस समय जो भी न्यायालयीन कामकाज के दस्तावेज बने उन सभी दस्तावेजों में विवादित मस्जिद का नाम "जन्म स्थान मस्जिद" अथवा "मस्जिद जन्म स्थान" ही लिखा गया था| उसके बाद १८८५ में महंत रघुबर दासजी ने राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण की अनुमति का अभियोग फ़ैज़ाबाद उप-न्यायाधीश के समक्ष दाखिल किया था उसमे भी बाबरी मस्जिद की जगह विवादित मस्जिद का नाम "जन्म स्थान मस्जिद" अथवा

“मस्जिद जन्म स्थान” ही लिखा गया था| इसका अर्थ यह हैं की रामजन्मभूमि की जगह पर राम मंदिर था जिसे जन्म स्थान मंदिर भी कहा जाता था| उस मंदिर का विध्वंस कर उसे मस्जिद बनाने का काम बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने १५२८ में किया था|

===========

प्रश्न: अपराधिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार रामजन्मभूमि के प्रबंधन का दायित्व निर्मोही अखाड़े से लेकर प्रिय दत्ता राम, अध्यक्ष फ़ैजाबाद नगर निगम को दिया गया?

अ) धारा १४५

ब) धारा १४६

क) धारा १४७

ड) धारा १४८

उत्तर: अ) धारा १४५| जब २२ दिसंबर १९४९ की रात को ५०-६० सनातनी भाइयों ने विवादित मस्जिद के ढाचे के ताले तोड़ अन्दर रामलला के साथ अन्य मूर्तियों की स्थापना की उसके बाद हजारों लोग रामजन्मभूमि पर एकत्रित हो २३ दिसंबर १९४९ की सुबह से कीर्तन करने लगे| इसके बाद फ़ैजाबाद जिला मजिस्ट्रेट ने धारा १४५ के अनुसार इस जमीन से जुड़े विवाद की वजह से होने वाली अशांति को रोकने के लिए दी. २९ दिसम्बर १९४९ को फ़ैजाबाद-अयोध्या नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष प्रिय दत्त रामजी को प्राप्तकर्ता तथा प्रबंधन के लिए नियुक्त किया और उसके बाद ५ जनवरी १९५० के दिन प्रिय दत्त रामजी ने प्राप्तकर्ता तथा प्रबंधन के भार को स्वीकार कर सबसे पहले उक्त जगह रखी गयी समस्त वस्तुओ की सूचि बनायीं| उस सूचि के अनुसार जीतनी भी वस्तुए वहा थी वो केवल एक हिन्दू मंदिर में होती हैं अन्य किसी धार्मिक स्थल में नहीं| इस नियुक्ति के बाद से निर्मोही अखाड़े के हाथ से रामजन्मभूमि का प्रबंधन चला गया और पूरी रामजन्मभूमि नगर निगम अर्थात प्रशासन के आधीन प्रबंधन में आई| अब इस जगह के लिए पुजारियों की नियुक्ति से लेकर हर काम नगर निगम के आदेश के हिसाब से होने लगा और दिन रात पुलिस कर्मी इस जगह तैनात हो गए|

===========

प्रश्न: परिसीमन अधिनयम के अनुच्छेद १४२ के अनुसार परिसीमन का समय कितना हैं?

अ) १० साल

ब) १४ साल

क) ११ साल

ड) १२ साल

उत्तर: ड) १२ साल| परिसीमन अधिनयम का अनुच्छेद १४२ अचल संपत्ति से जुड़े विवादों के लिए समय सीमा निर्धारित करता हैं| इस प्रावधान के अनुसार अगर किसी विवाद में वादी को किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व से बेदखल कर दिया गया हो अथवा वादी को किसी अचल संपत्ति से जुड़े कोई उत्तरदायित्व या अधिकार से वंचित कर दिया गया हो तब ऐसे विवादों में वादी के पास अभियोग दाखिल करने के लिए १२ साल का समय होता हैं| ये समय उस दिन से शुरू होता हैं जिस दिन वादी को वंचित या बेदखल कर दिया जाता हैं| रामजन्मभूमि विवाद में दी. ५ जनवरी १९५० के दिन रामजन्मभूमि के प्रबंधन के प्रबंधन के उत्तरदायित्व से निर्मोही अखाड़े को बेदखल कर दिया गया था, जब फ़ैजाबाद जिला मजिस्ट्रेट ने अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १४५ के तहत आदेश देकर प्रबंधन का उत्तरदायित्व फ़ैजाबाद नगर निगम के अध्यक्ष को दे दिया|

===========

प्रश्न: हिन्दू देवता के नाम से अगर कोई भक्त अक्षय निधि का पंजीकरण कर कोई चल अथवा अचल संपत्ति दान करता हैं तो उसका स्वामित्व किसके नाम पर होता हैं?

अ) स्वयम देवता के नाम पर

ब) दान करने वाले भक्त के नाम पर

क) उस देवता के पुजारी के नाम पर

ड) उस देवता के मंदिर प्रबन्धक के नाम पर

उत्तर: अ) स्वयम देवता के नाम पर| अगर हिन्दू विधिशास्त्र के अनुसार कोई भक्त हिन्दू देवता के नाम से अक्षय निधि का पंजीकरण कर कोई चल अथवा अचल संपत्ति दान करता हैं तो उसका स्वामित्व उस देवता के नाम पर रहेगा, अर्थात उस अक्षय निधि के स्वामी वो हिन्दू देवता ही रहेंगे| उस देवता के पुजारी तथा मंदिर के प्रबंधक का काम हैं की देवता की तरफ से दान में आई संपत्ति से जुड़े सभी कार्य वे करे| पुजारी अथवा प्रबंधक अथवा किसी हिन्दू मठ के लिए महंत या मठाधिपति केवल प्रबंधक का ही काम करते हैं संपत्ति का स्वामित्व देवताओ के नाम पर होता हैं|

===========

प्रश्न: महंत भास्कर दास कौन थे?

अ) अध्यक्ष, रामजन्मभूमि ट्रस्ट

ब) सरपंच, श्री मंच रामानान्दिय निर्मोही अखाड़ा

क) फ़ैजाबाद नगर निगम ने नियुक्त किये हुए पुजारी

ड) सचिव, अखिल भारतीय हिन्दू महासभा

उत्तर: ब) सरपंच, श्री मंच रामानान्दिय निर्मोही अखाड़ा| महंत भास्कर दास बाबा बलदेव दासजी के शिष्य थे| रामजन्मभूमि अभियोग में उन्होंने निर्मोही आखाड़े की तरफ से साक्ष दी थी| वे श्री मंच रामानान्दिय निर्मोही अखाड़ा के सरपंच थे| सरपंच बनने के पहले वे रामजन्मभूमि मंदिर के पंच एवम पुजारी थे| उन्होंने अपने साक्ष में कहा था की “रामजन्मभूमि मंदिर में विराजमान, राम चबूतरे पर विराजमान रामजी, लक्ष्मणजी, हनुमानजी तथा शालिग्रमजी का अभिषेक तथा पूजन निर्मोही अखाड़े के महंत के ही हाथ से होता आया हैं| कई दशको से विवादित ढाचे के अन्दर रामजी विराजमान हैं तथा वहा पर नियमित पूजा हो रही हैं|”

===========

प्रश्न: जगद्गुरु रामभद्राचार्य स्वामी हर्यचार्य कौन थे?

अ) प्रमुख, रामानंद संप्रदाय

ब) अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दू महा सभा

क) अध्यक्ष, विश्व हिन्दू परिषद

ड) सचिव, राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ

उत्तर: अ) प्रमुख, रामानंद संप्रदाय| जगद्गुरु रामभद्राचार्य स्वामी हर्यचार्य ने निर्मोही अखाड़े की और से रामजन्मभूमि अभियोग में साक्ष दी थी| वे रामानंद संप्रदाय के प्रमुख रूप में १९८५-८६ से कार्यरत थे| उन्होंने रामलला की मुर्तिया विवादित मस्जिद ढाचे में भी देखि और राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर में भी देखि थी| वे अयोध्या में १९४९ में आये थे जब वे दस साल के थे|

===========

प्रश्न: निर्मोही अखाड़ा अयोध्या में कब से विभिन्न मंदिरों का प्रबंधन कर रहा हैं?

अ) इसवी सन १५४० से

ब) इसवी सन १३२६ से

क) इसवी सन १८०५ से

ड) इसवी सन १७३४ से

उत्तर: ड) इसवी सन १७३४ से| जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा जस्टिस डी. व्ही. शर्मा के अनुसार सन १७३४ के आसपास महंत गोविन्द दासजी जयपुर से अयोध्या आये और तब से रामानंदी बैरागियों का निर्मोही अखाड़ा रामजन्मभूमि मंदिर सहित अयोध्या के अनेक मंदिरों का रखरखाव तथा प्रबंधन कर रहा हैं|

===========

प्रश्न: हिन्दू भक्त राममंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने किसी राम मन्दिर निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व किसे दिया?

अ) सरपंच, निर्मोही अखाड़ा

ब) अध्यक्ष, रामानंद सम्प्रदाय

क) अध्यक्ष, विश्व हिन्दू परिषद

ड) अध्यक्ष, आर्य समाज

उत्तर: ब) अध्यक्ष, रामानंद सम्प्रदाय| हिन्दू भक्त विवादित भूमि पर पहलेसे ही विद्यमान सभी निर्माणों को तोड़कर नया मंदिर बनाने के पक्ष में थे| इस कार्य का उत्तरदायित्व अध्यक्ष, रामानंद सम्प्रदाय को दिया गया| इसके लिए श्री राम जन्म भूमि न्यास नामक न्यास का पंजिकारण किया गया|

===========

प्रश्न: श्री राम जन्म भूमि न्यास का पंजीकरण किस दिन और कहा किया गया?

अ) दी. १८.१२.१९८५ उप-पंजीयक, अयोध्या

ब) दी. १८.१२.१९८५ उप-पंजीयक, अलाहाबाद

क) दी. १८.१२.१९८५ उप-पंजीयक, लखनऊ

ड) दी. १८.१२.१९८५ उप-पंजीयक, दिल्ली

उत्तर: अ) दी. १८.१२.१९८५ उप-पंजीयक, अयोध्या| श्री राम जन्म भूमि न्यास में दस न्यासी (ट्रस्टी) हैं| मुख्य न्यासी अध्यक्ष, रामानंद सम्प्रदाय हैं| विश्व हिन्दू परिषद ने चार न्यासी मनोनीत किये थे| पाच न्यासी हिन्दू समाज के प्रख्यात व्यक्ति थे| इन न्यासीयों में से एक अलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री देवकीनंदन अग्रवालजी भी थे, जिन्होंने रामसखा बन कर १ जुलाई १९८९ के दिन रामजन्मभूमि के लिए एक अभियोग जिला दीवानी न्यायालय, फैजाबाद के समक्ष दाखिल किया था|

===========

प्रश्न: विवादित बाबरी मस्जिद के पास वाली मुस्लिम कब्रे किसने खोद कर नष्ट कर दी?

अ) अखिल भारतीय हिन्दू महासभा

ब) विश्व हिंदू पारिषद

क) रामजन्मभूमि न्यास

ड) निर्मोही अखाड़ा

उत्तर: ड) निर्मोही अखाड़ा| विवादित बाबरी मस्जिद के आसपास कई मुस्लिम कब्रे थी जीने १५ अगस्त १९४७ के स्वतंत्रता तथा विभाजन के बाद खोद कर निष्ट करने का कार्य निर्मोही अखाड़े के रामानंदी बैरागियों ने किया था और उसके बाद २२ दिसंबर १९४९ की रात में रामलला, लक्ष्मणजी, हनुमानजी और अन्य मूर्तियाँ स्थापित कर दी|

===========

प्रश्न: अयोध्या अभियोग में अलाहाबाद उच्च न्यायलय के तिन न्यायाधीशों के खंडपीठ में से किस न्यायाधीश ने पूरी विवादित जमीन का स्वामित्व श्री राम भगवान विराजमान तथा स्थान श्री राम जन्मभूमि का हैं ऐसा मत रखा?

अ) न्यायाधीश डी. व्ही. शर्मा

ब) न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल

क) न्यायाधीश एस. यु. खान

ड) न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल

उत्तर: अ) न्यायाधीश डी. व्ही. शर्मा| अयोध्या अभियोग में अलाहाबाद उच्च न्यायलय के तिन न्यायाधीशों के खंडपीठ के समक्ष पुरे अभियोग की सुनवाई हुई थी| इस खंडपीठ में न्यायाधीश डी. व्ही. शर्मा, न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल तथा न्यायाधीश एस. यु. खान सदस्य थे| पूरी सुनवाई होने के बाद न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल तथा न्यायाधीश एस. यु. खान ने ये माना की विवादित मस्जिद के मध्य का जो गुम्बद हैं केवल उतनी ही जगह श्री राम भगवान विराजमान तथा स्थान श्री राम जन्मभूमि के स्वामित्व की हैं, सीता रसोई, पादुका और राम चबूतरा की जगह निर्मोही अखाड़े की हैं और मस्जिद के बचे हुए दो गुम्बद मुस्लिम पक्ष के हैं| न्यायाधीश डी. व्ही. शर्मा ने इस पर अपनी यह टिपण्णी दी थी की पूरी विवादित जमीन जिसका क्षेत्रफल १५०० यार्ड वर्ग हैं वो केवल और केवल श्री राम भगवान विराजमान तथा स्थान श्री राम जन्मभूमि के स्वामित्व की हैं| इस पुरे निर्णय से अर्थात न्यायाधीश डी. व्ही. शर्मा, न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल तथा न्यायाधीश एस. यु. खान के संयुक्त निर्णय से कोई भी वादी-प्रतिवादी सहमत नहीं था इसीलिए इस निर्णय के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में १४ याचिकाए दाखिल की गयी जिसमे ज्यादातर याचिकाए मुस्लिम पक्ष की और से दाखिल हुई थी|

===========

प्रश्न: हिन्दू विधिशास्त्र के अनुसार मंदिर के पुजारी की नियुक्ति कौन करता हैं?

अ) मंदिर के प्रबंधक जो की भगवान के सेवक हैं

ब) मंदिर जिस जगह हैं उस जगह का नगर निकाय

क) वंश परंपरा से ही पुजारी की नियुक्ति की जाती हैं

ड) कोई भी आकर पुजारी बन सकता हैं

उत्तर: अ) मंदिर के प्रबंधक जो की भगवान के सेवक हैं| यह कई बार भ्रम फैलाया जाता हैं की मंदिर के पुजारी जो ज्यादातर ब्राह्मण होते हैं वो मंदिर में रहते ही इसके लिए हैं की भगवान के नाम से सामान्य जनता को लुटा जाए| पर ऐसा कुछ नहीं होता| मंदिर में आपसे संपर्क करने वाले ज्यादातर पुजारी ही होते हैं| मंदिर के पुजारी जो की मंदिर में पूजा करना, दर्शन के बाद प्रसाद देने का कार्य करते हैं ये मंदिर के प्रबंधक जो की भगवान के सेवक हैं वो ही करते हैं| पुजारी भी भगवान के सेवक ही होते हैं पर उनकी नियुक्ति मंदिर प्रबंधक करते हैं| मंदिर प्रबंधक का उत्तरदायित्व वंशपरम्परा से भी मिल सकता हैं या समाज के मतानुसार भी मिल सकता हैं| प्रबंधक और पुजारी में अंतर होता हैं|

=============

प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री देवकीनंदन अग्रवालजी का किस दिन देहवसान हुआ?

अ) ६ दिसंबर २००२

ब) १५ जुलाई २००२

क) ८ अप्रेल २००२

ड) २५ अप्रेल २००२

उत्तर: क) ८ अप्रेल २००२| अलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री देवकीनंदन अग्रवालजी ने ही रामसखा बन १ जुलाई १९८९ के दिन जिला दीवानी न्यायालय फ़ैजाबाद के समक्ष रामजन्मभूमि के लिए एक अभियोग दाखिल किया जिसमे उन्होंने भगवान श्री राम विराजमानजी एवं स्थान श्री राम जन्मभूमिजी को वादी क्र. १ और २ बनाया था और वे तीसरे क्रमांक के वादी थे| और इस अभियोग के दाखिल होने के बाद रामजन्मभूमि के लिए हो रही क़ानूनी लड़ाई में एक जरुरी मोड़ आया|

=============

प्रश्न: रामसखा श्री देवकीनंदन अग्रवालजी के मृत्यु उपरांत उनके स्थान पर रामजन्मभूमि अभियोग में किसे वादी बनाया गया?

अ) डॉ. टी. पी. वर्मा

ब) डॉ. दिनेश धवन

क) महंत गोपाल दस

ड) महंत अभिराम

उत्तर: अ) डॉ. टी. पी. वर्मा| रामजन्मभूमि अभियोग में श्री देवकीनंदन अग्रवालजी के मृत्यु उपरांत उन्होंने दाखिल किये अभियोग को निरस्त कर दिया जाता अगर डॉ. टी. पी. वर्मा (पूरा नाम ठाकुर प्रसाद वर्मा) ने श्री देवकीनंदन अग्रवालजी के स्थान पर अपनी नियुक्ति के लिए अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अर्जी नहीं की होती| अगर यह न होता तो रामजन्मभूमि का संघर्ष अधुरा रह जाता|

=============

प्रश्न: रामसखा श्री देवकीनंदन अग्रवालजी के मृत्यु उपरांत उनके स्थान पर रामजन्मभूमि अभियोग में डॉ. टी. पी. वर्मा की नियुक्ति का आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कब दिया?

अ) ६ दिसंबर २००२

ब) १५ जुलाई २००२

क) ८ अप्रेल २००२

ड) २५ अप्रेल २००२

उत्तर: ड) २५ अप्रेल २००२|

=============

प्रश्न: ठाकुर प्रसाद वर्माजी के बाद रामजन्मभूमि अभियोग में डॉ. टी. पी. वर्माजी के बाद किसे भगवान श्री राम विराजमानजी एवं स्थान श्री राम जन्मभूमिजी का सखा नियुक्त कर रामसखा का दायित्व सौपा गया?

अ) राहुल गाँधी
ब) नरेन्द्र मोदी
क) त्रिलोकी नाथ पाण्डेय
ड) महंत अभिरामजी
उत्तर: क) त्रिलोकी नाथ पाण्डेय| डॉ. टी. पी. वर्माजी के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के चलते उनका बार बार रामजन्मभूमि अभियोग की सुनवाई के समय न्यायालय आना हो नहीं पा रहा था| यह भी एक और समस्या आई| पर इसका तोड़ भी क़ानूनी व्यवस्था में था और फिर उनकी जगह रामसखा का उत्तरदायित्व त्रिलोकी नाथ पाण्डेयजी ने संभाला| इसके लिए एक अर्जी अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी नागरिक प्रक्रिया संहिता के आर्डर ३२ रूल ८ के तहत और फिर दी. १८ मार्च २०१० को त्रिलोकी नाथ पाण्डेयजी को रामजन्मभूमि अभियोग में रामसखा का उत्तरदायित्व दिया गया| आगे पुरे रामजन्मभूमि अभियोग में भगवान श्री राम विराजमानजी एवं स्थान श्री राम जन्मभूमिजी के तरफ से श्री त्रिलोकीनाथ पाण्डेय रामजन्मभूमि के लिए न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय आते रहे|
=============
प्रश्न: सन १९४९ के पहले से रामजन्मभूमि में स्थित रामलला की पूजा कौन करता आया हैं?
अ) बाबा अभिराम दासजी
ब) महंत श्री धरम दासजी
क) प्रिय दत्ता रामजी
ड) जो भी वहा दर्शन करने जाता खुद पूजा करता
उत्तर: अ) बाबा अभिराम दासजी| निर्मोही अखाड़े के बैरागियों का रामजन्मभूमि के आसपास की जगह पर रहिवास था तथा वे मंदिर में अपनी भक्ति साधना भी करते थे| निर्मोही अखाड़े के महंत कई बार मंदिर से जुड़े कार्यो के लिए अनुबंध भी लिखाकर लेते थे और निर्मोही अखाड़े के बैरागियों ने ही रामजन्मभूमि के आसपास की कब्रे खोद कर नष्ट की हैं| बाबा अभिराम दासजी का कार्य रामलला, लक्ष्मणजी, हनुमानजी, तथा शालिग्रामजी की पूजा करना, सीता रसोई तथा पादुका की पूजा करना था और दर्शन हेतु आये भक्तों को प्रसाद भी देते थे| रामजन्मभूमि के लिए जितना निर्मोही अखाड़े का सहयोग हैं उतना ही बाबा अभिरामजी का भी हैं|
=============
प्रश्न: बाबा अभिरामजी के मृत्य के उपरांत उनके उत्तराधिकारी कौन बने?
अ) महंत भास्करदासजी
ब) महंत तुलसीदासजी
क) महंत धरमपालजी
ड) महंत धरमदासजी
उत्तर: ड) महंत धरमदासजी| रामजन्मभूमि के लिए जितना निर्मोही अखाड़े का सहयोग हैं उतना ही बाबा अभिरामजी का भी हैं| उनके मृत्य के उपरांत उनके उत्तराधिकारी बने महंत धरमदासजी| अपने बयान में महंत धरमदासजी ने ये बताया की दी. २ अक्तूबर १९४९ के दिन विजयादशमी थी और उसदिन बाबा अभिराम दासजी ने एक सार्वजनिक सभा में उपस्थित कई रामभक्तों के साथ ये शपथ ली थी की जन्मस्थान की पवित्रता तथा प्राचीन गरिमा को वे पुन्ह्स्थापित करेंगे| और इस बात की गवाही मुस्लिम पक्ष ने भी दी की विवादित ढाचे के मध्य गुम्बद के निचे दी. २२ दिसंबर १९४९ की रात अभिरामदासजी, धरमदासजी एवम अन्य लोगों ने मिलकर मुर्तिया स्थापित की थी| इस घटना के बाद जो प्राथमिकी पुलिस थाने में पंजीकृत की गयी उसमे निर्मोही अखाड़े के किसी भी बैरागी का नाम नहीं हैं| निर्मोही अखाड़े की और से जितने भी साक्ष्य इस अभियोग में अपना बयान देने आये उन्होंने ये बात खुलकर कही की विवादित ढांचे में कई वर्षो से मुर्तिया स्थापित थी और २२ दिसंबर की रात किसी ने भी कोई मूर्ति विवादित ढांचे में स्थापित नहीं की थी| और यही बयान निर्मोही अखाड़े के विरुद्ध हो गए| पर महंत अभिरामदासजी के तरफ से महंत धरमदासजी के साक्ष्य ने इस अभियोग में एक नया ही मोड़ ला लिया था|
=============
प्रश्न: रामजन्मभूमि पर अहर वर्ष जयंती समारोह का आयोजन कौन करता था?
अ) निर्मोही अखाड़ा
ब) बाबा अभिरामदासजी
क) जनम भूमि सेवा समिति
ड) उपरोक्त में से ब) और क)
उत्तर: ड) उपरोक्त में से ब) और क)| बाबा अभिरामदासजी १९३४ से रामजन्मभूमि मंदिर के पुजारी थे और वे कई उत्सवो का आयोजन भी करवाते थे| इन उत्सवों में अयोध्या तथा दूर दूर से आये कई हिन्दू भक्त और निर्मोही अखाड़े के बैरागी भी सम्मिलित होते थे| जब दिसम्बर १९४९ में विवदित ढांचे में मूर्तियों को स्थापित किया गया तब से हर समारोह के लिए प्रशासन से आज्ञा लेना जरुरी हो गया था|
=============
प्रश्न: क्या एक मठ को भी न्यायिक व्यक्ति का दर्जा भारतीय विधिशास्त्र में हैं?
अ) हा
ब) नहीं
उत्तर: अ) हा| एक मठ का पंजीकरण भी होता हैं| मठ का कार्य मानवों द्वारा ही किया जाता हैं, पर मठ के नाम पर किया जाता हैं| दान मठ के नाम पर दिया जायेगा और धन का स्वामित्व भी मठ के पास ही रहेगा| इस धन का रखरखाव, न्यायिक कार्यवाही, और अन्य कार्य जिससे मठ तथा मठ के भक्तों

को लाभ हो ये भी मठाधिपति तथा अन्य सदस्य करते हैं, इसीलिए पंजीकृत मठ को न्यायिक व्यक्ति का दर्जा मिलता हैं जिससे मठ अनुबंध कर सकता हैं, कोई अभियोग में वादी या प्रतिवादी भी हो सकता हैं|

=============

प्रश्न: अगर कोई जन-उपद्रव करता हैं तो ऐसे उपद्रवी पर कारवाही करने के लिए भारतीय विधिशास्त्र में क्या प्रावधान हैं?

अ) अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १३३ के अनुसार अभियोग

ब) नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा ९१ के अनुसार अभियोग

क) उपरोक्त अ) और ब) दोनों

ड) कोई प्रावधान नहीं हैं

उत्तर: क) उपरोक्त अ) और ब) दोनों| कुछ लोग ऐसाभी बोलने वाले मिलेंगेकी जोरशोरसे होते ध्वनिप्रदूषणके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकी कोई इलाजही नहीं हैं| ये वही लोग हैं जो ध्वनिप्रदूषण करनेवालोको पता नहीं क्यों बड़ाही भला मानते हैं| ध्वनिप्रदूषण जनउपद्रव हैं और CPC की धारा91 के तहत कारवाही हो सकती हैं| और ध्वनिप्रदुषण के जनउपद्रव के लिए उपद्रवी के खिलाफ CRPC की धारा १३३ के तहत भी कारवाही की जा सकती हैं| पर इस के बारे में भी आपको कभी बताया नहीं जायेगा|ये बात आपको खुद जाननी और समझनी पड़ेगी की आपको इन्फ्लुएंस करने वाले किसी एक पक्ष को बचाने के लिए आपको अधूरी जानकारी क्यों देते है|

=============

प्रश्न: १८८५ में महंत रघुबरदासजी ने मंदिर निर्माण के लिए उप-न्यायाधीश फ़ैजाबाद के समक्ष जो अर्जी दाखिल की उसमे प्रतिवादी कौन थे?

अ) सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर कौंसिल ऑफ़ इंडिया

ब) मोहम्मद असगर मुतावली

क) फैजाबाद-अयोध्या नगर निगम के अध्यक्ष

ड) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर: अ) सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर कौंसिल ऑफ़ इंडिया| राम चबूतरा जिसका क्षत्रफल ३५७ वर्ग फ़ीट ही था उस चबूतरे पर एक संगेमरमर का छोटा सा मंदिर रामलला के लिए बनाने की अर्जी महंत रघुबरदासजी ने उप-न्यायाधीश फ़ैजाबाद के समक्ष की थी| इस अभियोग में मंदिर बनेगा तो दंगे होंगे ऐसा कह कर मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी गयी| तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने हमेशा ही हिन्दुओ को दोयम दर्जा दिया था| महंत रघुबरदासजी ने अपने अभियोग में निर्मोही अखाड़े का कोई भी सन्दर्भ नहीं दिया इसीलिए सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष जब रामजन्मभूमि अभियोग चल रहा था तब मंदिर प्रबंधन के लिए निर्मोही अखाड़े से जुड़े जो भी दावे किये थे सभी पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हो गए| आगे निर्मोही अखाड़े ने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किये उनके बयान अपने आप में बड़े ही भ्रामक थे| भलेही निर्मोही अखाड़े की प्रबंधक के रूप में भूमिका सिध्द नहीं होती हो पर निर्मोही अखाड़े के बैरागियों ने रामजन्मभूमि के लिए जो भी योगदान दिया उसे स्वीकार करना ही चाहिए| एक और अखाड़े के महंत रामजन्मभूमि के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम हैं निर्वाणी अणि अखाड़ा| महंत अभिरामजी तथा महंत धरमदासजी निर्वाणी अणि अखाड़े दे थे| निर्वाणी अणि अखाड़े के महंत तथा सदस्यों पर ही २३ दिसंबर १९४९ के दिन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी|

=============

प्रश्न: रामजन्मभूमि अभियोग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित जमीन का परिक्षण करने के लिए अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कब आदेश दिए थे?

अ) दी. १ अगस्त २००२

ब) दी. १० जुलाई १९८९

क) दी. १५ अगस्त २००३

ड) दी. ७ फरवरी २००४

उत्तर: अ) १ अगस्त २००२| दी. १ अगस्त २००२ को रामजन्मभूमि अभियोग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित जमीन का परिक्षण करने के लिए अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे| इस आदेश के अनुसार पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिओ-रेडिओलोजी सिस्टम या भू-रेडिओलोजी प्रणाली अथवा ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार या भूमि-भेदक रडार का उपयोग कर परिक्षण करने के लिए कहा गया| उक्त परिक्षण के विवरण के बाद ही उत्खनन के आदेश दिए गए थे| इस परिक्षण के लिए आदेश देने के बाद कई आक्षेप उठाये गए जिन्हें अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दी. २३ अक्तूबर २००२ को पूरा सुनने के बाद निरस्त कर दिया था| और उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भूमि-भेदक रडार का परिक्षण विवदित स्थान पर किया|

=============

प्रश्न: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भूमि-भेदक रडार का परिक्षण कर अपना विवरण अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष किस दिन प्रस्तुत किया?

अ) दी. १ अगस्त २००३

ब) दी. १० जुलाई २००३

क) दी. १५ अगस्त २००३

ड) दी. १७ फरवरी २००३

उत्तर: ड) दी. १७ फरवरी २००३|

=============

प्रश्न: रामजन्मभूमि पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भूमि-भेदक रडार परिक्षण के बाद वहा कुछ होने की सम्भावन न्यायालय को लगी?

अ) हा

ब) नहीं
उत्तर: अ) हा| रामजन्मभूमि पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भूमि-भेदक रडार परिक्षण के विवरण के अनुसार उपरोक्त स्थान पर प्राचीन भग्न अवशेष मिले जिससे वहा कुछ होने की सम्भावन न्यायालय को लगी| उपरोक्त स्थान पर कई स्तंभ, निर्माण की नीव, दीवारे, फर्शबंदी हैं ऐसा भूमि-भेदक रडार परिक्षण के बाद सामने आया| इन सब प्राचीन अवशेषों का स्वरुप कैसा हैं ये तो पुरातत्वीय ट्रेचिंग के बाद ही पता चल सकता था इसीलिए अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगे ट्रेचिंग तथा उत्खनन के आदेश दे दिए थे| पर यह स्पष्ट निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिए की जहा रामलला की मूर्ति स्थापित हैं उस स्थान के दस फीट परिधि का क्षेत्र अस्तव्यस्त नहीं करना हैं तथा उक्त स्थान पर पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं लगानी हैं|
=============
प्रश्न: अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस दिन रामजन्मभूमि पर उत्खनन कर, कलाकृतियों को मुहरबंद करने तथा जो मिला हैं उसका छायाचित्रण करने की अनुमति दी?
अ) २६ मार्च २००३
ब) २२ एप्रिल २००३
क) २३ मई २००३
ड) २५ जून २००३
उत्तर: अ) २६ मार्च २००३
=============
प्रश्न: रामजन्मभूमि पर उत्खनन कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपना विवरण अलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कब प्रस्तुत किया?
अ) २५ जून २००३
ब) २४ जुलाई २००३
क) २२ अगस्त २००३
ड) १८ सितम्बर २००३
उत्तर: क) २२ अगस्त २००३|
=============
प्रश्न: रामजन्मभूमि के उत्खनन में इसा पूर्व ६ सदियों पुराना क्या सामान मिला?
अ) लोहे का चक्कू, कांच के मोती, कान के स्टड्स,
ब) डिस्क पर बना चक्का तथा डिस्क, जड़ीबूटि राखी हुई हरे काच की बरनी
क) वोटिव टैंक के अवशेष,
ड) उपरोक्त सभी
उत्तर: ड) उपरोक्त सभी| हा भारतीय सभ्यता को काच की चीजे कैसे बनाना, लोहे की चीजे कैसे बनाना, पानी की टंकी कैसी बनाना यह सब इसा पूर्व से ही पता था| रंगीन काच की बरनी में जडीबुटी राखी जाती हैं ये भी ईसापूर्व से ही पता था| टेराकोटा से डिस्क बनायीं जाती थी और उस डिस्क पर चक्का भी बनाया जाता था| टेराकोटा से कई शो-पिस इसा पूर्व से ही भारत में बनते आ रहे हैं| काच के मोती और उसके गहने, कान के कुंडल सब इसा पूर्व से ही भारत में बनता आया हैं| रामजन्मभूमि के उत्खनन में आजसे २९०० साल पहले की चीजे मिलना ही बताता हैं की भारतीय सभ्यता कितनी प्रगट थी| इस ईसापुर तीसरी से छठी सदी के कालखंड में बने कई मिटटी के बर्तन भी रामजन्मभूमि के अवशेषों में मिले| अर्थात यह जगह कभी खाली थी ही नहीं जैसा मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था की बाबरी मस्जिद खाली जगह पर बनायीं गयी थी| जहा भी अवशेष मिलते हैं वहा पर मनुष्य रहते थे इसका प्रमाण मिलता हैं| काच की बरनी पर ब्राम्ही लिपि में “सीधे” लिखा हुआ था|
=============
प्रश्न: सुंग काल का रामजन्मभूमि में क्या मिला?
अ) हेयरपिन, चुडिया, हाथी दात से बने फासे, चक्का
ब) ब्राम्ही लिपि में लिखी मुद्रिका का एक टुकड़ा,
क) पत्थर और इटो से बना ढांचा
ड) उपरोक्त सभी
उत्तर: ड) उपरोक्त सभी| सुंग काल अथवा ईसापूर्व बिलकुल एक सदी में भारत में इटो और पत्थरों का उपयोग भवन निर्माण में किया जाने लगा था| ईसापूर्व से ही भारतीय समाज को इटे कैसे बनाना हैं ये पता था| महिलाओ के उपयोग में आने वाली चुडिया, हेयर पिन, काच के मोतियों के गहने, इसके साथ कई ऐसे टेराकोटा से बने शो पिस मिले जिसमे मनुष्य और प्राणियों की आकृतिया बनी हुई थी| हड्डीयों के ऊपर नक्काशी भी की हुई मिली| ब्राम्ही लिपि में लिखी मुद्रिका का एक टुकड़ा मिला जिसपर “श्री” लिखा हुआ था| और यह केवल १०.८० मीटर गहराई में किये गए उत्खनन में मिला हुआ सामान हैं| इससे ज्यादा खोदा जाता तो पता नहीं पूरा बसा बसाया नगर ही मिल जाता| जो लोग कहते हैं की भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं वे आपको गलत इतिहास बताकर भ्रमित करने का ही कार्य कर रहे हैं| ऐसे लोगों से दुरी बनाने में ही स्वयम का भला हैं ये जाने|
=============
प्रश्न: कुषाण काल के क्या अवशेष रामजन्मभूमि में मिले?
अ) एक बहुत बड़ी भट्टी के अवशेष
ब) ईटों से बनी दीवारों के अवशेष

क) काजल लगाने की ताम्बे की छड़ी

ड) उपरोक्त सभी

उत्तर: ड) उपरोक्त सभी| कुषाण काल अर्थात इसा पश्चात् पहली तिन सदियाँ| इस समय में भारत में इटो से निर्माण होने लग गया था| आभूषणों के साथ साथ काजल लगाने वाली ताम्बे की छड़ी भी रामजन्मभूमि के उत्खनन में मिली जो आज से २१०० साल पुराणी हैं| एक बहुत बड़ी भट्टी के अवशेष मिले जो मिटटी के बर्तनों तथा इटो को पक्का करने के लिए उपयोग में लायी गयी होगी| और यह केवल १०.८० मीटर गहराई में किये गए उत्खनन में मिला हुआ सामान हैं| इससे ज्यादा खोदा जाता तो पता नहीं पूरा बसा बसाया नगर ही मिल जाता| जो लोग कहते हैं की भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं वे आपको गलत इतिहास बताकर भ्रमित करने का ही कार्य कर रहे हैं| ऐसे लोगों से दुरी बनाने में ही स्वयम का भला हैं ये जाने|

=============

प्रश्न: गुप्त काल के ताम्बे के सिक्को में क्या खास बात हैं?

अ) सिक्को पर राजा का चित्र बना हुआ हैं

ब) सिक्को पर गरुड़ बना हुआ हैं

क) सिक्को पर “श्री चन्द्रगुप्त” लिखा हुआ हैं

ड) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर: ब) सिक्को पर गरुड़ बना हुआ हैं| आजसे १३००-१५०० पहले के काल को गुप्त काल कहा जाता हैं| गुप्त काल में भी अयोध्या में मनुष्यों का वास्तव्य था| इस समय तक ताम्बे के सिक्के का उपयोग भारत में होने लग गया था| गुप्त कालीन सिक्को पर गरुड़ बना हुआ होता था जो कही न कही उस समय के लोगों का प्रकृति से जुडाव दर्शाता हैं| राजा का नाम अथवा चित्र तो हर सिक्के पर आपको मिल जायेगा पर किस पक्षी या पशु का चित्रण उन सिक्को पर होना अपने आप में प्रकृति से जुडाव दर्शाता हैं|

=============

प्रश्न: रामजन्मभूमि के उत्खनन पश्चात् एक गोलाकार तीर्थस्थल मिला वो किस काल का था?

अ) गुप्त काल

ब) कुषाण काल

क) राजपूत काल

ड) ऐसा कुछ नही मिला

उत्तर: क) राजपूत काल| गुप्त काल के बाद इसा पश्चात् सातवी से दसवी सदी को राजपूत काल कहते हैं| इस काल में एकदम पतले बर्तन बनने लगे थे उन्हें नाइफ एज पोट कहते है| टेराकोटा से बनी चीजे भी मिली और मिटटी के कुषाण काल जैसे बर्तन भी मिले| इस समय बने गोलाकार तीर्थस्थल के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं| मतलब रामजन्मभूमि कुषाणों, गुप्त तथा राजपूतों के संरक्षण में थी|

=============

प्रश्न: ११ वि या १२ वि शताब्दी के समय रामजन्मभूमि पर क्या हुआ?

अ) वहा जो कुछ था सब कुछ ढह गया|

ब) लाल इटो से फर्श बनायीं गयी|

क) जो था उसकी मरम्मत की गयी|

ड) कुछ भी नहीं हुआ|

उत्तर: ब) लाल इटो से फर्श बनायीं गयी| लाल इटो को कुचल कर उसमे चुना और मिटटी मिलाकर एक अच्छा सा फर्श इस जगह बनाया गया| फर्श बनाया गया अर्थात यहाँ पर कोई ढाचा था और उसमे या तो कोई मंदिर था या लोग रहते थे| तभी ऐसी फर्श बनायीं गयी| अब क्या था ये तो आगे और भी पता चलेगा| ११ वि या १२ वि शताब्दी के समय को वैसे सल्तनत काल कहा जाता हैं परन्तु यह दोनों शताब्दियों में भारत में भयंकर नरसंहार हुए, महिलाओं को वस्तुओ की तरह बेचा गया और उनसे बलात्कार हुए| इस समय में भारत में लुटेरे घुसपेठिये आते थे युद्ध करते थे, धर्मपरिवर्तन के लिए दबाव बनाते थे और अगर किसी ने हिन्दू धर्म को त्यागकर घुसपैठियों का धर्म नहीं अपनाया तो उसकी या तो खुलेआम हत्या कर दी जाती या उसका जीवन नरक बनाने के लिए उसके साथ एक घिनौनी हरकत की जाती| अब ध्यान से पढना| यह आज से लगभग १००० साल पहले का इतिहास हैं| ये लुटेरे हिन्दू धर्म में डटकर रहने वाले को कैद कर लेते थे| उसे न पानी न अन्न दिया जाता था| बाद में उसे गौ का रक्त मिला पानी जबरन पिलाया जाता था| फिर भी अगर वो नहीं माना तो उसे अधमरी हालत में कमर में या गले में गाय का मांस बाँध कर गाव के बाहर फेक दिया जाता था| गौ मांस शरीर से बंधा देखकर उसे पश्चाताप के लिए कहा जाता था क्यों की गौमांस के टुकड़े के कारण ऐसे व्यक्ति अशुध माने जाती थे और यह पश्चाताप काल उस शुद्धि के लिए ही होता था| कुछ समय के पश्चाताप के बाद में ऐसे लोगों को फिर से समाज अपना लेता था| इस समय को हिन्दुओ का पश्चाताप काल कहना ज्यादा उचित हैं|

=============

प्रश्न: विवादित ढाचे में जहा रामलला को स्थापित किया गया उसके निचे क्या मिला?

अ) गोलाकार कुंड

ब) इटो से बनी फर्श

क) उपरोक्त अ) और ब) दोनों

ड) कुछ भी नहीं सिर्फ मिटटी

उत्तर: क) उपरोक्त अ) और ब) दोनों| विवादित ढांचे के बिच वाले गुम्बद के निचे रामलला की स्थापना की गयी थी ठीक उसके निचे जमीन में एक गोलाकार कुंड मिला जिसके चारो और इटो से बनी पक्की फर्श थी| यह जगह अत्यंत महत्वपूर्ण होगी तभी यहाँ पर पक्की फर्श बनायीं गयी| यह कुंड

१२वि से १६वि सदी के मध्य में बनाया गया होंगा ऐसा अनुमान हैं| यहाँ ये जानना जरुरी हैं की दसवी शताब्दी के बाद, हर शताब्दी में कुछ न कुछ रखरखाव का कार्य इस जगह किया गया| उत्तर-दक्षिण दिशा में बनी दीवरों की मरम्मत या उन्हें फिर से पूरा बनाने के कार्य हर सदी में किया गया|

=============

प्रश्न: रामजन्मभूमि का भूमि-भेदक रडार से जब परिक्षण किया गया तब वहा पर कितने स्तम्भ आधार होने की सम्भावना बताई गयी?

अ) १००

ब) ९५

क) ९०

ड) ८५

उत्तर: ड) ८५| भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार रामजन्मभूमि के विवादित ढाचे के निचे ८५ स्तम्भ का एक और ढांचा हैं| ये ८५ स्तम्भ उत्तर से दक्षिण की तरफ १७ पंक्तियों में थे और हर पंक्ति में ५ स्तम्भ आधार थे ऐसा भूमि-भेदक रडार परिक्षण से निष्कर्ष निकला| इन ८५ स्तंभों में से ५० स्तंभों का परिक्षण किया गया| पचास में से १२ पूर्णता: सर्वेक्षण के लिए उपलभ्द थे| तिन स्तम्भ के केवल कुछ हिस्से ही मिले और बचे पैतीस स्तम्भ आधे अधूरे ही दिखाई दिए क्यों की एक मर्यादित सीमा के अन्दर ही उत्खनन का काम किया गया था|

=============

प्रश्न: घट या कलश कहा पाया जाता हैं?

अ) मस्जिद में

ब) चर्च में

क) मन्दिर में

ड) घर में

उत्तर: क) मन्दिर में| घट या कलश हिन्दू मंदिरों में पाए जाते हैं|

=============

प्रश्न: गंगाजी का वाहन क्या हैं?

अ) कछुआ

ब) घोडा

क) मछली

ड) मगरमच्छ

उत्तर: ड) मगरमच्छ| हिन्दू मान्यताओं के अनुसार मगरमच्छ पवित्र गंगा नदी का वाहन हैं|

=============

प्रश्न: यमुनाजी का वाहन क्या हैं?

अ) कछुआ

ब) घोडा

क) मछली

ड) मगरमच्छ

उत्तर: अ) कछुआ| हिन्दू मान्यताओं के अनुसार कछुआ पवित्र यमुना नदी का वाहन हैं|

=============

प्रश्न: रामजन्मभूमि के उत्खनन में मानव आकृति की कितनी मुर्तिया मिली?

अ) ६२

ब) ६३

क) ६४

ड) ६५

उत्तर: अ) ६२|

=============

प्रश्न: रामजन्मभूमि के उत्खनन में पशु पक्षियों की कितनी मुर्तिया मिली?

अ) १३०

ब) १३१

क) १३२

ड) १३३

उत्तर: ब) १३१

=============

प्रश्न: एक शिव मंदिर में क्या जरुरी होता हैं?

अ) नंदी की शिवजी की तरफ मुह करके बैठी हुई मूर्ति

ब) शिवलिंग जिसका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में हैं

क) एक परनाला जिससे शिवलिंग पर अर्पित जल बहकर जाए
ड) उपरोक्त सभी
उत्तर: ड) उपरोक्त सभी| अगर किसी जगह कोई और ही धर्म का प्रार्थना स्थल हैं पर वहा परनाला हैं तो ये जान लेना चाहिए की वो जगह हिन्दू मंदिर था पहले| क्यों की मूर्ति या लिंग के अभिषेक के बाद इसी परनाला से अभिषेक का जल मंदिर के बाहर जाता हैं|
=============
प्रश्न: रामजन्मभूमि में किस प्रावधानों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नियुक्ति की गयी?
अ) आर्डर २३, नागरिक संहिता प्रक्रिया
ब) आर्डर २४, नागरिक संहिता प्रक्रिया
क) आर्डर २५, नागरिक संहिता प्रक्रिया
ड) आर्डर २६, नागरिक संहिता प्रक्रिया
उत्तर: ड) आर्डर २६, नागरिक संहिता प्रक्रिया| अगर किसी अभियोग में किसी तरह की छानबीन करवाकर उसपर विशेषज्ञ का विचार जान लेना चाहिए जिससे किसी भी पार्टी के साथ अन्याय न हो तो न्यायालय ऐसे छानबीन विशेषज्ञ की नियुक्ति आर्डर २६, नागरिक संहिता प्रक्रिया के अनुसार कर सकते है|
=============
प्रश्न: गोलाकार तीर्थस्थल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को रामजन्मभूमि पर किये गए उत्खनन के बाद मिला उसमे ऐसा क्या था जिसके कारण उसे एक हिन्दू पूजास्थल जाना गया?
अ) परनाला
ब) मूर्ति स्थापना के लिए विशेष गर्भगृह
क) उपरोक्त में से कोई भी नहीं
ड) उपरोक्त में से अ) और ब) दोनों
उत्तर: ड) उपरोक्त में से अ) और ब) दोनों| रामजन्मभूमि का उत्खनन करने के बाद, ४० मी चौड़ा और ५० मी लम्बा एक बड़ा सा हॉल मिला जसमे कई स्तम्भ थे| उसके बीचोबीच एक गोलाकार तीर्थस्थल भी मिला जिसमे एक विशेष गर्भगृह था जिसमे मूर्ति की स्थापना हुई और वहा से पानी बहकर जाए इसके लिए उत्तर दिशा की तरफ एक परनाला भी बना हुआ था| या तो यह गर्भगृह किसी शिवमंदिर का था या अन्य कोई देवता वहा विराजमान थे ये तो स्पस्ट नहीं हो पाया क्यों की वहा कोई मूर्ति नहीं थी| राममंदिर महाराज विक्रमादित्य के समय से बना हुआ हैं| उसके बाद सदी डर सदी मंदिर का रखरखाव हर उस हिन्दू राजा ने किया जिसके प्रशासनिक सीमा के अन्दर यह मंदिर आता गया| भलेही मस्जिद-नुमा ढाचा बनाया गया पर हिन्दुओ ने वहा पूजा करना कभी बंद ही नहीं किया| अगर ये कहे की ये कोई बुद्ध विहार हैं तो एक ही प्रश्न हैं ऐसा कहने वालों के लिए, "बौद्ध मत के लोगों ने यहाँ पर आना क्यों बंद कर दिया? यहाँ पर बौद्ध-पूजन करना बंद क्यों कर दिया?" इन प्रश्नों का उत्तर हिन्दू और बौद्ध लोगों में आपसी कलेश निर्माण करने वाले के पास नहीं रहेगा, भलेही हर मंदिर के लिए वो ये दावा कर ले की ये बौद्ध-विहार था| ऐसा दावा करने वाले लोग न तो बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं और न ही बुद्ध के सिखाये मार्ग पर कभी चले हैं| ये अपने आप को बौद्ध कहने वाले वास्तव में बौद्ध हैं ही नहीं बस ये जानलो ये भेड़ की खाल में भेडिये हैं|
===========
प्रश्न: चुने की सुर्खी का उपयोग भवन निर्माण कार्य में सबसे पहले कब हुआ था|
अ) कुषाण काल में
ब) गुप्ता काल में
क) राजपूत काल में
ड) मराठा काल में
उत्तर: अ) कुषाण काल में| कुषाण काल इसा पश्चात् पहली से तीसरी सदी का कालखंड हैं, या यु कहे महाराज विक्रमादित्य के बाद में विक्रम संवत की दूसरी से चौथी सदी का काल हैं| विक्रम संवत इसा के पहले ५०-६० वर्ष ही प्रारंभ हो चूका था| इस काल में चुने का पानी या चुने की सुर्खी का उपयोग कर निर्माण कार्य किये जाने लगे थे| तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में हैं वहा पर चुने की सुर्खी से बने कई अवशेष आज भी हैं जो कुषाण काल के समय में बने हैं| इसीलिए ये कहना सर्वथा अनुचित हैं की चुने की सुर्खी का उपयोग केवल इस्लामिक निर्माणों में ही किया जाता था|
===========
प्रश्न: आलिंगन मुद्रा में एक मनुष्य जोड़ी किस प्रार्थनास्थल में आप देख सकते हैं?
अ) बौद्ध प्रार्थनास्थल
ब) हिन्दू प्रार्थनास्थल
क) मुस्लिम प्रार्थनास्थल
ड) जैन प्रार्थनास्थल
उत्तर: ब) हिन्दू प्रार्थनास्थल| सनातन संकृति ने पति पत्नी सहवास को जीवन का अभिन्न अंग मन हैं, इसीलिए कई हिन्दू देवता अपनी पत्नि के साथ विराजमान हैं तथा इन देवियों की भी पूजा की जाती हैं| कई मंदिरों में स्त्री-पुरुष की जोड़ी को आलिंगन करते हुए भी आप देख सकते हैं| यह आलिंगन मुद्रा वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान का प्रतिक हैं जिसे हर हिन्दू पति-पत्नी ने अपने जीवन में उतारना ही चाहिए| यह केवल हिन्दू मंदिरों में ही दिखेगा| बाकि गौतम बुद्ध और जैन भगवान सन्यासी थे उन्होंने संसार का त्याग कर दिया था तो उनके साथ उनकी पत्नी कभी स्थापित नहीं दिखेगी,

और न ही बौद्ध और जैन प्रार्थनास्थलों पर पति-पत्नी सहवास वाली कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखेगा| रही बात मुस्लिम, और इसाई धर्म की तो ये एकेश्वरवादी हैं तो कोई अन्य मूर्ति वहा रहनी ही नहीं चाहिए|

===========

प्रश्न: आमलक क्या होता हैं?

अ) मंदिर के शिखर पर रखा जाने वाला पत्थर

ब) गोलाकार पत्थर से बना चक्र

क) मंदिर में स्थापित देवता का चिन्ह

ड) उपरोक्त सभी

उत्तर: ड) उपरोक्त सभी| आमलक सभी हिन्दू मंदिरों के शिखर पर स्थापित होता हैं| यह गोलाकार होता हैं तथा इसके किनारे पर धारिया होती हैं| यह मंदिर में स्थापित देवता का चिन्ह भी हो सकता हैं| जैसे अगर यह कमल के समान अनेक पंखुडियो को दर्शाता हैं तो मंदिर ऐसे देवता का होगा जिनका कमल से कोई सम्बन्ध हैं| यह अगर सुदर्शन चक्र समान दीखता हो तो मंदिर विष्णुजी या उनके अवतार का होता हैं| इस आमलक के ऊपर मंदिर शिकार पर कलश तथा ध्वजा स्थापित होती हैं| यह केवल हिन्दू मंदिरों में ही देखने मिलेगा|

===========

प्रश्न: क्या विवादित बाबरी ढांचे का फर्श पहले से उपलब्ध मजबूत फर्श पर ही बनाया गया था?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: अ) हा| अलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किये उत्खनन के विवरण के बाद और उत्खनन में मिली विविध प्राचीन वस्तुओ के परिक्षण के बाद यह बात मानी की विवादित बाबरी ढाचा रिक्त स्थान पर नहीं बनाया गया जैसा की सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलील थी| विवादित ढाचे के निचे कम से कम उतनेही क्षेत्रफल का पहले से निर्मित अन्य एक ढाचा था| पहले से निर्मित दीवारे और स्तंभों का उपयोग कर विवादित मस्जिद बनायीं गयी| जमीन के अन्दर २३ से ज्यादा सदियों से दबे अवशेष कही से भी इस्लामिक नहीं हैं| अगर कोई प्राचीन वस्तु जो उत्खनन में मिली हैं वो जैन या बौद्ध मत से कोई सम्बन्ध रखती हैं तो यह हिन्दू, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के संगम का कारण मानना चाहिए| कई विदेशी पर्यटकों ने अपने भारत भ्रमण पर लिखे पुस्तकों में ये बताया हैं की हिन्दू, बौद्ध और जैन ये तीनो समाज बड़े ही बंधुभाव से रहते थे| ब्रिटिश काल के कई यूरोपियन इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं ने भी ये अपनी पुस्तकों में लिखा हैं की हिन्दू, बौद्ध और जैन ये तीनो समाज बड़े बन्धुभाव से रहते थे| इस सामाजिक सौहार्द को मुस्लिम तथा यूरोपियन राजकर्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने का पूरा प्रयास किया और ये आज भी होता आ रहा हैं| जरुरत हैं हमें जागृत हो कर अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना ज्ञान बढ़ाने की| यह न्यायालय ने कई बार कहा हैं की उपरोक्त स्थान पर जो भी उत्खनन करने के बाद मिला वो तो इस्लामिक हो ही नहीं सकता पर इसकी सबसे ज्यादा संभावना हैं को दसवी-ग्यारहवी सदी में हिन्दू मंदिर हो सकता हैं| आगे न्यायालय ने यह भी कहा की पहले से निर्मित हिन्दू ढाचे पर विवादित मस्जिद का निर्माण तभी संभव हैं जब मस्जिद बनाने वाले को ये पता हो की पहले से निर्मित हिन्दू मंदिर कितना प्रबल और मजबूत हैं| और अब प्रश्न यह हैं की बाबर या मीर बाकी को कैसे पता चला की पहले से मौजूद मंदिर मजबूत हैं और उसपर ही मस्जिद बनायीं जा सकती हैं? इसका उत्तर या तो ये हैं की ये मीर बाकी पहले मंदिर में पूजा करने जाता था और बाद में किसी डर या लालच से इसने इस्लाम अपना लिया या फिर कोई भारतीय समाज का ही व्यक्ति रहा होगा जिसने अपने अहंकार की तुष्टि के लिए या किसी डर या लालच के चलते राममंदिर के बारे में सबकुछ मीर बाकी और बाबर को बता दिया होंगा| यह दोनों भी सम्भावनाये अपने आप में चौकाने वाली हैं क्यों आज भी कई मीर बाकी है और कई ऐसे लोग हमारे ही समाज से हैं जो किसी लालच के चलते हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं|

===========

प्रश्न: रामचरितमानस के अनुसार सरयू नदी रामजन्मभूमि की किस दिशा में हैं?

अ) पूर्व

ब) पश्चिम

क) उत्तर

ड) दक्षिण

उत्तर: क) उत्तर| रामचरितमानस के अनुसार सरयू नदी रामजन्मभूमि की उत्तर दिशा में हैं| और प्रत्यक्ष में रूप में भी रामजन्मभूमि की उत्तर दिशा में ही सरयू नदी बहती हैं|

===========

प्रश्न: क्या विवादित मस्जिद के ढांचे की तस्वीरों में हिन्दू देवता शिवजी तथा गणेशजी दिख रहे थे?

अ) हा

ब) नही

उत्तर: अ) हा| महंत परमहंस राम चंद्र दासजी को एक फोटो अल्बम बताया गया जिसमे विवादित ढाचे पर मोर, सिंह, नंदी, गणेशजी और शिवजी प्रकट रूप से दिख रहे थे| महंतजी के अनुसार रामजन्मभूमि के उत्तर में सरयू नदी बहती हैं ऐसा रामचरितमानस में लिखा है और ये प्रमाण उन्होंने न्यायालय के समक्ष भी रखे थे| सभी महंत अगर ऐसे जागरूक हो जायेंगे तो हिन्दू धर्म की पताका पुरे विश्व में फिर से लहराएगी| महंतजी ने जब अपनी साक्ष्य दी थी तब वे नब्बे वर्ष की आयु के थे और उन्होंने १९३४ में हुए दंगो का प्रसंग भी अपने गवाही में बताया| उसके बाद महंतजी ने यह कहा की १९३४ के दंगो के बाद विवादित मस्जिद में कोई नमाज नहीं अदा की गयी|

===========

प्रश्न: हिन्दू धर्म के अनुसार किसी भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितना समय लगता हैं?

अ) कम से कम एक घंटा और ज्यादा से ज्यादा ५ घंटे
ब) कम से कम २४ घंटे और ज्यादा से ज्यादा ३ दिन
क) कम से कम १० मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा
ड) ऐसा कही कोई सन्दर्भ नहीं हैं
उत्तर: ब) कम से कम २४ घंटे और ज्यादा से ज्यादा ३ दिन|
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि मंदिर में आने वाले भक्त किस नदी में स्नान करते थे?
अ) गंगा नदी
ब) यमुना नदी
क) सरयू नदी
ड) सरस्वती नदी
उत्तर: क) सरयू नदी|
===========
प्रश्न: अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात हिन्दू भक्त किस स्थान का दर्शन करते हैं?
अ) रामजन्मभूमि मंदिर
ब) कनक भवन
क) हनुमानगढ़ी
ड) उपरोक्त सभी
उत्तर: ड) उपरोक्त सभी
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि पर कौनसा वृक्ष हैं?
अ) पीपल
ब) आम
क) आमला
ड) बबुल
उत्तर: अ) पीपल| राम चबूतरे के अग्नेय दिशा में पीपल का वृक्ष हैं और वही पर नीम का भी वृक्ष हैं| इस वृक्ष के निचे शिवजी एवं गणेशजी समेत अन्य देवता स्थापित हैं| कई हिन्दू मंदिरों के प्रांगन में आपको एक ही जगह नीम, पीपल और वटवृक्ष दिखाई देंगे| यह कोई अंधश्रद्धा नहीं हैं की ये तिन वृक्ष देवताओ के स्वरुप हैं| वास्तव में तीनो वृक्षों की जड़े कम से कम एक किलोमीटर तक फ़ैल सकती हैं| तीनो वृक्षों की जेड जमीन के अन्दर जहा से भी जाती हैं वहा से जमीन के अन्दर पानी को रिसने के लिए आसानी हो जाती हैं और इससे भू-गर्भ-जल का स्तर बढ़ जाता हैं| अगर हर खेत में तीनो में कोई एक वृक्ष भी लगा रहेगा तो उस खेत में कभी पानी की कमी नहीं होगी| यह तीनो वृक्ष न केवल प्राणवायु देते हैं अपितु भूमि के गर्भ में पानी का संचय होने में भी मदत करते हैं| पर इन तीनो का कोई आर्थिक लाभ नहीं होता इसीलिए कोई इन्हें अपने खेतो में नहीं लगता या इनकी किसी भी तरह से कोई सेवा नहीं करता| इसीलिए सनातन पूर्वजों ने इन्हें इश्वर का स्वरुप दे दिया| फिर मनुष्य अपनी भक्ति भावना के कारण ही सही इनकी सेवा करने लगे जैसे जल अर्पण करना, दूध-दही चढ़ाना जो बादमे खाद का बन जाते हैं, निराई गुड़ाई करना, तने के पास पत्थर रख मल्चिंग करना, सूत का धागा बांध धुप से होने वाली तकलीफ से बचाना, इत्यादि| यह सारी प्रक्रियाओं वे लोग अवश्य समझेगे जो खेती से जुड़े हैं|
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि अयोध्या में कौनसी परिक्रमाए होती हैं?
अ) चौदह कोसी
ब) पाच कोसी
क) अंतरग्रही
ड) उपरोक्त सभी
उत्तर: ड) उपरोक्त सभी|
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि के द्वार का नाम क्या हैं?
अ) सिंह द्वार
ब) हनुमत द्वार
क) सीता द्वार
ड) उपरोक्त में से अ) और ब) दोनों
उत्तर: ड) उपरोक्त में से अ) और ब) दोनों
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि के हनुमत द्वार पर किसीकी मुर्तिया लगी हुई हैं
अ) जय-विजय

ब) गरुड़
क) सिंह
ड) मगरमच्छ
उत्तर: अ) जय-विजय| हिन्दू मान्यताओ के अनुसार विष्णुजी अथवा उनके किसी भी अवतार के मंदिर के प्रवेश द्वार पर जय विजय स्थापित रहते हैं| जय विजय वैकुण्ठ लोक अर्थात भगवान विष्णु के लोक के पहरेदार हैं| उनकी अनुमति के बिना विष्णुजी के दर्शन संभव नहीं, इसीलिए जय विजय के दर्शन हमेशा करना चाहिए और अगर आपके साथ आपके बालक मंदिर जा रहे हैं तो उन्हें यह तथ्य हमेशा बताना चाहिए|
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि के सिंह द्वार पर किसीकी मुर्तिया हैं?
अ) दो सिंह
ब) गरुड़
क) हनुमानजी
ड) उपरोक्त में से अ) और ब) दोनों
उत्तर: ड) उपरोक्त में से अ) और ब) दोनों|
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में किसकी मूर्ति हैं?
अ) वराह
ब) गरुड़
क) सिंह
ड) सुग्रीव
उत्तर: अ) वराह| अब यहाँ कुछ एक तथ्य मैं बता दू की वराह को सूअर कहते हैं| प्राचीन मंदिर वास्तु कला के अनुसार वराहदेव की मूर्ति हर मंदिर के प्रांगन अथवा प्रवेशद्वार के निकट स्थापित की जाती थी उसका एकमात्र कारण हैं की वराह देव ने पाप के बोझ से रसातल में गयी भूमिदेवी को रसातल की गहराई से उभर कर निकाला था| आज आप मुस्लिम व्यक्तियों को सूअर कह कर संबोधित करते हैं ये सम्पूर्णत: अनुचित हैं| आप इन म्लेच्छों को सूअर बुलाकर विष्णु के अवतार वराहदेव का ही अपमान कर रहे हैं| मुझे पता हैं उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं पर उस अनुपात में कई स्तनपायी जानवर हैं जो कई बच्चे एक साथ जनते हैं जैसे खरगोश, चूहे, कुत्ते, बिल्लियाँ और न जाने कितने| वैसे तो म्लेच्छों को किसी प्राणी या पक्षी का विशेषण देना भी उन प्राणी या पंछियों का अपमान हैं|
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि का हनुमतद्वार किस दिशा में हैं?
अ) उत्तर
ब) दक्षिण
क) पूर्व
ड) पश्चिम
उत्तर: क) पूर्व|
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि का सिंह द्वार किस दिशा में हैं?
अ) उत्तर
ब) दक्षिण
क) पूर्व
ड) पश्चिम
उत्तर: अ) उत्तर
===========
प्रश्न: विवादित बाबरी मस्जिद का जब ६ दिसंबर १९९२ के दिन विध्वंस किया गया तब उसके मलबे से क्या मिला?
अ) विष्णुजी की मूर्ति
ब) अयोध्या विष्णु हरी मंदिर का शिलालेख
क) बाबरी मस्जिद का शिलालेख
ड) टूटी हुई इटे
उत्तर: ब) अयोध्या विष्णु हरी मंदिर का शिलालेख| यह अयोध्या विष्णु हरी मंदिर का शिलालेख ११५ सेंटीमीटर लम्बा और ५५ सेंटीमीटर चौड़ा था| यह शिलालेख पत्थर पर लिखा गया था|
===========
प्रश्न: अयोध्या विष्णु हरी मंदिर के शिलालेख में किस राजा का उल्लेख हैं?
अ) महाराज विक्रमादित्य
ब) सम्राट अशोक

क) त्रिविक्रम, गुप्त राजवंश
ड) गोविन्दचन्द्र, गहडवाल राजवंश
उत्तर: ड) गोविन्दचन्द्र, गहडवाल राजवंश| राजा गोविन्दचन्द्रजी सन १११४ से ११५५ तक एक बहोत बड़े सामाज्य के महाराज थे|
===========
प्रश्न: अयोध्या विष्णु हरी मंदिर के शिलालेख के अनुसार किसने स्वर्ग प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान का शिलाओं का भव्य मंदिर बनाया?
अ) गोविन्दचन्द्र
ब) मेघसुत
क) अयुश्यचंद्र
ड) अनयचंद्र
उत्तर: ब) मेघसुत| मेघसुत गोविन्दचन्द्र का भतीजा था| गोविन्दचन्द्र की कृपा से मेघसुत ने साकेत मंडल की एक बहुत बड़ी भूमि का अधिपत्य पाया| फिर स्वर्गप्राप्ति के लिए मेघसूत ने श्री हरी विष्णु के लिए शिलाओ से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया| मेघसुत अयोध्या में ही रहने लगा था और वही पर यह मंदिर बनाया गया था|
===========
प्रश्न: अयोध्या विष्णु हरी मंदिर के शिलालेख का भाषांतरण किसने किया?
अ) डॉ धवन
ब) डॉ. के व्ही. रमेश
क) डॉ. सुप्रिया वर्मा
ड) जयंती प्रसाद श्रीवास्तव
उत्तर: ब) डॉ. के व्ही. रमेश| डॉ. के व्ही. रमेश ने संस्कृत में एम्. ए. मद्रास विश्वविद्यालय से किया| उसके उपरांत उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय से संस्कृत में पी. एच. डी. की और उसके बाद वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पुरालेखवेत्ता की सेवा देने लगे| यह व्यक्ति दक्षिण भारत से हैं और उत्तर भारत के एक मंदिर में मिले शिलालेख का बड़ी सटीकता से इन्होने भाषांतर किया| दक्षिण भारतीय हो या उत्तर भारतीय सबके मन में सभी हिन्दू देवी देवताओ के लिए एक समान भक्ति और आदर हैं| कुछ लोग उत्तर दक्षिण का भेद कर देश में अशांति फ़ैलाने का काम करते है वे असल में और हिन्दू विरोध और भारत विरोध की बाते करते हैं| रामजन्मभूमि अभियोग में डॉ. रमेश के दक्षिण भारतीय होने पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता डॉ. धवन ने आपत्ति जताई थी और उनकी साक्ष्य को अमान्य करने की दलील दी थी| अब इसपरसे आप समझ जाइये की उत्तर दक्षिण के भेद के पीछे कौन हो सकते हैं? यही नहीं देश में जो भी भेदभाव के कारण हिन्दू समाज को विभाजित कर रहे हैं उनके पीछे यही लोग हैं| इन लोगों का ब्रिटिश प्रशासको से भी गहरा सम्बन्ध रहा हैं केवल भारत तथा हिंदुत्व के विध्वंस के लिए|
===========
प्रश्न: स्कन्द पूरण के अनुसार सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात किसका पूजन भक्त ने करना चाहिए?
अ) विघ्नेश्वर
ब) पिंडारक
क) श्री हरी
ड) शिवजी
उत्तर: ब) पिंडारक| स्कन्द पूरण के अनुसार पिंडारक पापी मनुष्य के साथ छल करते हैं तथा सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा मनुष्य को सद्‌बुधी एवम सद सद विवेक का वरदान देते हैं|
===========
प्रश्न: रामचरितमानस कब लिखा गया था?
अ) इसा पूर्व २००० साल
ब) महाराज विक्रमादित्य के समय
क) १६ वि सदी में
ड) ब्रिटिश काल में
उत्तर: क) १६ वि सदी में| तुलसीदासजी का जब जन्म हुआ था तब उन्हें उनकी माता ने दूध भी नहीं पिलाया और दाई को घर में जितना धन था वो देकर गाव से कही दूर चले जाने के लिए कहा क्यों की जिस दिन तुलसीदासजी का जन्म हुआ उसदिन लुटेरी मुस्लिम सेना ने तुलसीदासजी के गाव पर आक्रमण कर दिया था| अगर गाव के लोग जित जाते तो कोई बात नही थी पर राजा के सैनिक पोहोचने में बहोत समय था| क्रूर दुष्ट मुस्लिम सेना के सामने सभी जाती के लो जो उस गाव में रह रहे थे एक होकर लडे पर हार गए और फिर मुस्लिम लुटेरों ने पुरे गाव के पुरुषों के मस्तक धड से अलग कर दिए थे और महिलाओ के साथ जो वे करते आये हैं आज भी कर रहे हैं| इसीलिए उस ज़माने में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए महिलाए जौहर जैसी साधना करते हुए अपने प्राण त्याग देती थी| बस उस रात्रि तुलसीदासजी ने अपने माता पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया| पर वे परम रामभक्त थे और इसी भक्ति ने उन्हें जीवन जीने की शक्ति दी और रामचरितमानस को लिखने की सद्‌बुद्धि भी दी|
===========
प्रश्न: रामजन्मभूमि पर भंडार किसने निर्मित किया था?
अ) निर्मोही अखाड़े के बैरागियों ने
ब) सुन्नी वक्फ बोर्ड ने

क) ब्रिटिश प्रशासन ने

ड) कोई भंडार नहीं था

उत्तर: अ) निर्मोही अखाड़े के बैरागियों ने| १८५६-५७ के दंगो के बाद विवादित मस्जिद के ढांचे को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने जाली और इटो की दीवार बना दि थी| निर्मोही अखाड़े के लिए और हिन्दुओ के लिए बची हुई जमीन का अधिपत्य दे दिया| निर्मोही अखाड़े के बैरागियों ने १८६० के करीब एक भंडार का निर्माण किया जिसका उपयोग प्रसाद बनाने तथा अन्य सामान रखने के लिए किया जाने लगा|

===============

प्रश्न: क्या मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई प्रमाण अथवा साक्ष था जिससे ये कह सकते थे १८५६-५७ के पहले मुस्लिम पक्ष विवादित बाबरी ढांचे में नमाज अदा करते थे?

अ) हा

ब) नहीं

उत्तर: ब) नहीं| १९४९ से लेकर २०१९ में अयोध्या निर्णय देने तक जितने भी अभियोग रामजन्मभूमि के लिए दाखिल हुए तथा १८५६-५७ से लेकर १९४९ तक जितने भी अभियोग रामजन्मभूमि के लिए दाखिल हुए उन सब में इस बात के प्रमाण तथा साक्ष प्रस्तुत हुए जो ये बताये की रामजन्मभूमि पर बने ढांचे हिन्दू सदियों से पूजा करते आये हैं| पर कही पर भी इस बात का खुलासा किसी भी तरह से नहीं हुआ हैं की मुस्लिम वहा १८५६-५७ तक कोई भी तरह की नमाज अदा करते थे|

===============

प्रश्न: रामजन्मभूमि के उत्खनन में मिला ८५ स्तंभों का ढांचा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार कौनसी सदी का था?

अ) इसा पश्चात आठवी सदी

ब) इसा पश्चात बारहवी सदी

क) इसा पश्चात दसवी सदी

ड) इसा पूर्व पहली सदी

उत्तर: ब) इसा पश्चात बारहवी सदी| महाराज गोविन्दचन्द्र के भतीजे मेघसुत ने बारहवी सदी में स्वर्ग प्राप्ति के लिए श्री हरी विष्णुजी का शिलाओ से बना एक भव्य मंदिर बनवाया था इसी मंदिर में ८५ स्तम्भ थे|

===============

प्रश्न: महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या की भूमि पर कितने मंदिर बनवाए?

अ) १ मंदिर

ब) ११ मंदिर

क) ३६० मंदिर

ड) ९९९ मंदिर

उत्तर: क) ३६० मंदिर| अयोध्या का महात्म्य बौद्ध काल में कम हो गया था| इस कारण यह नगर वीरान हो गया| इसा पूर्व पहली सदी में महाराज विक्रमादित्य ने सनातन संकृति को पुरुज्जिवित करते हुए उनके पुरे राज्य में अनेक मंदिर बनवाए| महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या को ढूंढ़कर वहा अलग अलग स्थानों पर जैसा की शास्त्रों में लिखा हैं वैसे वैसे हर स्थान के सन्दर्भ के अनुसार केवल अयोध्या नगरी में ३६० मंदिर बनाये| इसका सन्दर्भ औरंगजेब के काल में इतिहास में लिखा गया जब औरंगजेब ने अयोध्या के ३६० मंदिरों का विध्वंस करने का कयास किया| इन ३६० मंदिरों में रामजन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी का मंदिर, त्रेता के ठाकुरजी ये कुछ प्रमुख मंदिर थे| जब रामजन्मभूमि मंदिर महाराज विक्रमादित्य के काल में बनाया गया, तब भी वह भव्य था| सदिय बितती गयी और जो भी हिन्दू राजा के प्रशासन में मंदिर एवं अयोध्या नगर आता वो अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर का रखरखाव करता| बारहवी सदी में मेघदूत ने इस मंदिर को और भी भव्य बनाया और तब जो कसौटी स्तम्भ उपयोग में लाये गए उन्ही स्तंभों का उपयोग कर विवादित मस्जिद मीर बाकी ने बना दी| लेकिन इस विषय में हिन्दू एक रहे और उन्होंने वहा पूजा करना छोड़ा नहीं भलेही वहा स्थापित मुर्तिया नष्ट कर दी गयी|

===============

प्रश्न: भगवान राम किस राजवंश से थे?

अ) सूर्य वंश

ब) चन्द्र वंश

क) इंद्र वंश

ड) शनि वंश

उत्तर: अ) सूर्य वंश|

===============

प्रश्न: रामजन्म किस तिथि को मनाया जाता हैं?

अ) चैत्र शुद्ध प्रतिपदा

ब) चैत्र शुद्ध नवमी

क) माघ पूर्णिमा

ड) कार्तिक अमावस्या

उत्तर: ब) चैत्र शुद्ध नवमी

============================

श्री राम जी की प्रेरणा से रामजन्मभूमि अभियोग का सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय पढ़ना मेरा भाग्य हैं| इस पुस्तिका में जो भी लिखा वो भी रामजी के आशीर्वाद से ही लिखा हैं| अगर आपने इसे पढ़ा और समझा हैं तो यह मेरा सौभाग्य हैं की मैंने हिंदुत्व के लिए किये आधुनिक विधिय युद्ध को आपके सामने सहजता से प्रस्तुत किया| प्रश्नोत्तर रूप में लिखने का कारण यही हैं की नयी पीढ़ी इसे ध्यान लगा कर पढ़े एवं समझे की अकेले से भले ही कुछ न हो पर अगर अकेले ही धर्म के पथ पर अग्रसर हो गए तो ईश्वर अपने आप साथ चलते हैं और कही न कही फिर अनेक सहयोगी मिल जाते हैं| प्रकरण काफी पुराना हैं और इसे अभिप्रायापुर्वक लम्बा खीचा गया जिससे कोई साक्ष ही न बचे| आधे से ज्यादा साक्ष अपने वृद्धापकाल में थे और कई घटनाएं उन्हें स्मरण भी नहीं थी फिर भी यह अभियोग चला तथा अंत में सत्य की विजय हुई| शेष यह की इसे शुद्ध हिंदी में लिखने का प्रयास किया गया हैं परन्तु कई उर्दू शब्द तथा आंग्ल शब्द उपयोग में लाये गए इसके लिए क्षमादान करे| रामजन्मभूमि का अभियोग हिन्दू एकता तथा हिन्दू जागरण का प्रतिक हैं अत: यह पुस्तिका अपने घर के बालको के साथ थोड़ी थोड़ी कर हर रोज पढ़े और बालको के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करे| माता पिता जागृत हो बालको का पालन करेंगे तो अगली पीढ़ी स्वयं धर्म पथ पर अग्रसर रहेगी|

धन्यवाद

जय श्री राम

================================